



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 30 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 9, 1948 शक संवत्) [संख्या 22

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	279-294	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	331-354	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1019-1087	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स-पर्वेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

औपबन्धिक नियुक्ति/तैनाती

07 मार्च, 2024 ई0

सं0 1307/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
311	54400065501	प्रियंका त्रिपाठी	W/o विवेकानन्द मिश्र	चित्रकूट	संगम लाल मिश्र, बेलारी, इटवा, चित्रकूट-210205	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, आर्यानगर, लखनऊ

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1469/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
381	54400031805	इंदू यादव	W/o अभिषेक यादव	एटा	चन्द्रपाल सिंह यादव, यूसुफपुर उर्फ नगला धनी, पोस्ट-भगीपुर, एटा-207001	रा0आयु0चि0, ललुपुरा, कासगंज

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1470/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
515	54400109151	शिवांगी यदुवंशी	D/o राजेन्द्र प्रताप सिंह	रामपुर	राजेन्द्र प्रताप सिंह, मोहल्ला-असदुल्लापुर, नई बस्ती, तहसील-मिलक, रामपुर-243701	रा0आयु0चि0, परसरामपुर, बरेली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11)— अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12)— यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13)— उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1471/96-आयुष-1-2024-66/2011—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
471	54400049062	निशि	W/o सुरजीत कुमार	शाहजहांपुर	निशि, 218, जखिया, 2, शाहजहांपुर-242127	रा0आयु0चि0, वेबल, बरेली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1472/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
465	54400048416	रवि कान्त	S/o सुखलाल	हरदोई	रवि कान्त, ग्राम-डधेला पुरवा, बाघराई साण्डी, हरदोई-241403	रा0आयु0चि0, पुवायाँ, शाहजहांपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2)– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3)– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)– सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)– नियुक्ति स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6)– कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं0 1473/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी0आर0/एस0-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
362	54400056637	ज्योति	D/o दिनेश खरया	झांसी	दिनेश खरया, बाजपेईपुरा, मउरानीपुर, झांसी-284204	रा0आयु0चि0, कुल्हा अटौरा, उन्नाव

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं० 1474/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र संख्या-508(4)/04/डी०आर०/एस०-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

मा० आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
230	54400081235	सुभाष कुमार साहनी	S/o बुट्टल साहनी	चन्दौली	सुभाष कुमार साहनी S/o बुट्टल साहनी, भुजना, भुजना, चन्दौली-232110	रा०आयु०चि०, लोढ़ी, सोनभद्र HWC

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ0प्र0 भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्की पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

सं० 1475/96-आयुष-1-2024-66/2011-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन के उपरान्त प्राप्त संस्तुति पत्र-संख्या-508(4)/04/डी०आर०/एस०-9/2020-21, दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 के आधार पर आयुष विभाग में उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारी के पद पर औपबन्धिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है—

मा० आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन क्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	पिता/पति का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती स्थल/राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं जनपद
1	2	3	4	5	6	7
45	54400050721	ज्योति यादव	W/o डा० राहुल यादव	मिर्जापुर	ज्योति यादव D/o बृजभूषण यादव, C/o बद्दू यादव, कछवा बाजार, आदर्श नगर, तेग बहादुर, थाना-कछवा, मिर्जापुर-231501	रा०आयु०चि०, बिलखिया, बाराबंकी

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के नियम-17 के अधीन सामान्यतया 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) सम्बन्धित चिकित्साकारियों पर उ०प्र० राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) कार्यभार ग्रहण करने के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।

3— उ०प्र० भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

8— समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र की यदि शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

(7) सम्बन्धित, चिकित्साधिकारी उपरोक्त प्रस्तर-6 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे यदि उक्त अवधि के भीतर अपनी तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(8) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा (आयुर्वेद एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथा समय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(9) परिवीक्षा अवधि में चिकित्सकों को स्थानान्तरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यह सुविधा उन्हें सफलता पूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के उपरान्त ही प्राप्त होगी।

यदि नवनियुक्त आयुर्वेदक चिकित्साधिकारी ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करेगा, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक, (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999' के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(10) सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल-प्रमाण पत्र एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेंगे।

(11) अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या स्वघोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(12) यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थायी है। यदि बाद में अभ्यर्थी के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार विभागीय अपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(13) उक्त नियुक्ति रिट याचिका संख्या-7778/2023, विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 10321/2023 रॉबिन बादल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 7272/2023 रामानन्दन राठौर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य 10391/2023 श्रीमती शिल्पी पटेल बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा 2640/2023 विरेन्द्र सिंह कुशवाहा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

लीना जौहरी,

प्रमुख सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 9, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

April 08, 2025

No. 506/Admin.(Services)/2025-Sri Naveen Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Agra to be Additional Chief Judicial Magistrate, Mehrauni (Lalitpur) *vice* Sri Naresh Kumar Diwakar.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mehrauni (Lalitpur).

No. 507/Admin.(Services)/2025-Sri Naresh Kumar Diwakar, Additional Chief Judicial Magistrate, Mehrauni (Lalitpur) to be Chief Judicial Magistrate, Firozabad *vice* Smt. Minakshi Sinha.

No. 508/Admin.(Services)/2025-Smt. Minakshi Sinha, Chief Judicial Magistrate, Firozabad to be

Chief Judicial Magistrate, Saharanpur *vice* Smt. Astha Srivastava.

No. 509/Admin.(Services)/2025-Smt. Astha Srivastava, Chief Judicial Magistrate, Saharanpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Saharanpur *vice* Sri Ashutosh Tiwari.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Saharanpur.

No. 510/Admin.(Services)/2025-Sri Ashutosh Tiwari, Additional Chief Judicial Magistrate, Saharanpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Saharanpur.

No. 511/Admin.(Services)/2025-Sushri Priya Kumari Rai, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Additional Civil Judge (Senior Division), Bahraich.

No. 512/Admin.(Services)/2025–Smt. Swati Chandra, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Auraiya to Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bijnor.

No. 513/Admin.(Services)/2025–Sri Virat Mani Tripathi, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Ballia to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lalganj Ajhara (Pratapgarh).

No. 514/Admin.(Services)/2025–Sri Davender Kumar, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lalganj Ajhara (Pratapgarh) to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar.

No. 515/Admin.(Services)/2025–Sri Ankit Kumar Vihan, Additional Civil Judge (Senior Division), Bulandshahar to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar.

No. 516/Admin.(Services)/2025–Sri Saurabh Kumar Gautam, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Shahjahanpur.

No. 517/Admin.(Services)/2025–Sri Praveen Kumar, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Shahjahanpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi.

No. 518/Admin.(Services)/2025–Smt. Shikha Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Civil Judge (Senior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur vice Sri Shailesh Kumar Maurya.

No. 519/Admin.(Services)/2025–Sri Shailesh Kumar Maurya, Civil Judge (Senior Division), Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 520/Admin.(Services)/2025–Smt. Sneha, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Kannauj vice Sri Vipin Yadav.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kannauj.

No. 521/Admin.(Services)/2025–Sri Vipin Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Kannauj to be Additional Civil Judge (Senior Division), Kannauj.

No. 522/Admin.(Services)/2025–Sri Swapnil Pandey, Additional Civil Judge (Senior Division), Kannauj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareli.

No. 523/Admin.(Services)/2025–Smt. Sucheta Chaurasia, Additional Chief Judicial Magistrate (Central Railway), Banda to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur.

No. 524/Admin.(Services)/2025–Smt. Sweta Chandra, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

No. 525/Admin.(Services)/2025–Sri Saksham Dwivedi, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Barabanki.

No. 526/Admin.(Services)/2025–Sri Avinash Kumar Mishra, Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Bareilly to be Additional Chief Judicial Magistrate, Kasganj vice Sri Khan Zishan Masood.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kasganj.

No. 527/Admin.(Services)/2025–Sri Khan Zishan Masood, Additional Chief Judicial Magistrate, Kasganj to be Civil Judge (Senior Division), Kasganj vice Smt. Anupma Singh.

No.528/Admin.(Services)/2025–Smt. Anupma Singh, Civil Judge (Senior Division), Kasganj to be Chief Judicial Magistrate, Kasganj vice Smt. Nahid Sultana.

No. 529/Admin.(Services)/2025–Smt. Nahid Sultana, Chief Judicial Magistrate, Kasganj to be Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut vice Sri Nadeem Anwar.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Meerut.

No. 530/Admin.(Services)/2025–Sri Shailesh Pandey, Special Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Chief Judicial Magistrate, Ballia vice Sri Parag Yadav.

No. 531/Admin.(Services)/2025–Sri Parag Yadav, Chief Judicial Magistrate, Ballia to be Civil Judge (Senior Division), Ballia vice Sushri Gargi Sharma.

No. 532/Admin.(Services)/2025–Sushri Gargi Sharma, Civil Judge (Senior Division), Ballia to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ballia vice Smt. Kavita Kumari.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ballia.

No. 533/Admin.(Services)/2025–Smt. Kavita Kumari, Additional Chief Judicial Magistrate, Ballia to be Civil Judge (Senior Division), Pratapgarh vice Smt. Kumud Upadhyay.

No. 534/Admin.(Services)/2025–Smt. Kumud Upadhyay, Civil Judge (Senior Division), Pratapgarh to be Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh vice Smt. Archana Tiwari-II.

No.535/Admin.(Services)/2025–Smt. Archana Tiwari-II, Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh to be Civil Judge (Senior Division), Ramabai Nagar vice Sri Ranvijay Singh.

No. 536/Admin.(Services)/2025–Sri Ranvijay Singh, Civil Judge (Senior Division), Ramabai Nagar to be Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar vice Smt. Alunkrita Shakti Tripathi.

No. 537/Admin.(Services)/2025–Smt. Alunkrita Shakti Tripathi, Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar to be Civil Judge (Senior Division), Sultanpur vice Sri Shubham Verma.

No. 538/Admin.(Services)/2025–Sri Shubham Verma, Civil Judge (Senior Division), Sultanpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur vice Sushri Mukta Tyagi.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Sultanpur.

No. 539/Admin.(Services)/2025–Sushri Mukta Tyagi, Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur.

No. 540/Admin.(Services)/2025–Smt. Shaleen Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar.

No. 541/Admin.(Services)/2025–Sri Prabhat Singh, Additional Civil Judge (Senior Division), Kanpur Nagar to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna vice Sri Rameshwar Dayal.

No. 542/Admin.(Services)/2025–Sri Rameshwar Dayal, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna to be Civil Judge (Senior Division), Kushinagar at Padrauna vice Sri Vijay Kumar Verma-II.

No. 543/Admin.(Services)/2025–Sri Vijay Kumar Verma-II, Civil Judge (Senior Division), Kushinagar at Padrauna to be Chief Judicial Magistrate, Kushinagar at Padrauna vice Smt. Kavita Singh.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kushinagar at Padrauna.

No. 544/Admin.(Services)/2025–Smt. Kavita Singh, Chief Judicial Magistrate, Kushinagar at Padrauna to be Judge Small Causes Court, Sitapur *vice* Sri Rajendra Kumar Singh.

No. 545/Admin.(Services)/2025–Sri Rajendra Kumar Singh, Judge Small Causes Court, Sitapur to be Chief Judicial Magistrate, Sitapur *vice* Sri Gaurav Prakash.

No. 546/Admin.(Services)/2025–Sri Gaurav Prakash, Chief Judicial Magistrate, Sitapur to be Civil Judge (Senior Division), Sitapur *vice* Smt. Sudesh Kumari.

No. 547/Admin.(Services)/2025–Smt. Sudesh Kumari, Civil Judge (Senior Division), Sitapur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar.

No. 548/Admin.(Services)/2025–Sri Sushil Kumar Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur.

No. 549/Admin.(Services)/2025–Sri Dhruvesh Singh Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

No. 550/Admin.(Services)/2025–Smt. Arpita Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Basti to be Additional Civil Judge (Senior Division), Kaushambi.

No. 551/Admin.(Services)/2025–Smt. Saumya Giri, Additional Civil Judge (Senior Division), Kaushambi to be Civil Judge (Senior Division), Kaushambi *vice* Sri Amir Suhail.

No. 552/Admin.(Services)/2025–Sri Amir Suhail, Civil Judge (Senior Division), Kaushambi to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly.

No. 553/Admin.(Services)/2025–Sri Suresh Kumar Dubey, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be Civil Judge (Senior Division), Bareilly *vice* Sri Saurabh Kumar Verma.

No. 554/Admin.(Services)/2025–Sri Saurabh Kumar Verma, Civil Judge (Senior Division), Bareilly to be Chief Judicial Magistrate, Hapur *vice* Dr. Brahmpal Singh.

No.555/Admin.(Services)/2025–Dr. Brahmpal Singh, Chief Judicial Magistrate, Hapur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hapur *vice* Sri Sunil Shekhar.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hapur.

No. 556/Admin.(Services)/2025–Sri Sunil Shekhar, Additional Chief Judicial Magistrate, Hapur to be Additional Civil Judge (Senior Division), Hapur in the newly created court, created *vide* G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06.07.2016.

No. 557/Admin.(Services)/2025–Sri Vikas Kumar Verma, Additional Chief Judicial Magistrate (Eastern Railway), Chandauli to be Civil Judge (Senior Division), Jalesar (Etah) *vice* Sri Mangal Dev Singh.

No. 558/Admin.(Services)/2025–Sri Mangal Dev Singh, Civil Judge (Senior Division), Jalesar (Etah) to be Chief Judicial Magistrate, Pilibhit *vice* Smt. Pooja Gupta.

No. 559/Admin.(Services)/2025–Smt. Pooja Gupta, Chief Judicial Magistrate, Pilibhit to be Judge Small Causes Court, Saharanpur *vice* Sri Saurabh Srivastava-I.

No. 560/Admin.(Services)/2025–Sri Saurabh Srivastava-I, Judge Small Causes Court, Saharanpur to be Civil Judge (Senior Division), Saharanpur *vice* Sri Pappu Kumar Singh.

No. 561/Admin.(Services)/2025–Sri Pappu Kumar Singh, Civil Judge (Senior Division), Saharanpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Saharanpur.

No. 562/Admin.(Services)/2025–Smt. Ishrat Parveen Faruqui, Additional Civil Judge (Senior Division), Deoria to be Chief Judicial Magistrate, Chandauli vice Sri Deepak Kumar Mishra.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Chandauli.

No. 563/Admin.(Services)/2025–Sri Deepak Kumar Mishra, Chief Judicial Magistrate, Chandauli to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly.

No.564/Admin.(Services)/2025–Smt. Sadhana Kumari Gupta, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be 1st Civil Judge (Senior Division), Hapur vice Smt. Preeti Moga.

No. 565/Admin.(Services)/2025–Smt. Preeti Moga, 1st Civil Judge (Senior Division), Hapur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Rampur.

No. 566/Admin.(Services)/2025–Sri Anil Kumar-VII, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Etah to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jhansi.

No. 567/Admin.(Services)/2025–Sri Anurag Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jhansi to be Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun vice Sri Leelu.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Budaun.

No. 568/Admin.(Services)/2025–Sri Leelu, Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Etawah.

No. 569/Admin.(Services)/2025–Sri Rajan Kumar Gond, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Etawah to be Additional Chief Judicial Magistrate, Etawah vice Sri Umesh Yadav.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Etawah.

No. 570/Admin.(Services)/2025–Sri Umesh Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Etawah to be Civil Judge (Senior Division), Etawah vice Smt. Pragya Singh-II.

No. 571/Admin.(Services)/2025–Smt. Pragya Singh-II, Civil Judge (Senior Division), Etawah to be Civil Judge (Senior Division), Meerut vice Sri Aman Kumar Srivastava.

No. 572/Admin.(Services)/2025–Sushri Akanksha Mishra, Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Civil Judge (Senior Division), Fatehpur vice Smt. Anuradha Shukla.

No. 573/Admin.(Services)/2025–Smt. Anuradha Shukla, Civil Judge (Senior Division), Fatehpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad.

No. 574/Admin.(Services)/2025–Sri Mukeem Ahmad, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur vice Sushri Kavya Singh.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Jaunpur.

No. 575/Admin.(Services)/2025–Sushri Kavya Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi.

No. 576/Admin.(Services)/2025–Sri Devendra Pratap Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi to be Civil Judge (Senior Division), Maharajganj vice Sri Asgar Ali-I.

No. 577/Admin.(Services)/2025–Sri Asgar Ali-I, Civil Judge (Senior Division), Maharajganj to be IInd Civil Judge (Senior Division), Hapur *vice* Sri Ravi Kumar.

No. 578/Admin.(Services)/2025–Sri Ravi Kumar, IInd Civil Judge (Senior Division), Hapur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi.

No. 579/Admin.(Services)/2025–Sri Gyanendra Kumar-I, Additional Civil Judge (Senior Division), Farrukhabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Farrukhabad *vice* Sushri Neelam Saroj.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Farrukhabad.

No. 580/Admin.(Services)/2025–Sushri Neelam Saroj, Additional Chief Judicial Magistrate, Farrukhabad to be Civil Judge (Senior Division), Bahraich *vice* Sri Krishna Kumar-VII.

No. 581/Admin.(Services)/2025–Sri Krishna Kumar-VII, Civil Judge (Senior Division), Bahraich to be Special Chief Judicial Magistrate, Varanasi *vice* Sri Ashwani Kumar-I.

No. 582/Admin.(Services)/2025–Sri Ashwani Kumar-I, Special Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Chief Judicial Magistrate, Etawah *vice* Sri Neeraj Kushwaha.

No. 583/Admin.(Services)/2025–Sri Neeraj Kushwaha, Chief Judicial Magistrate, Etawah to be Chief Judicial Magistrate, Meerut *vice* Sushri Akanksha Mishra.

No. 584/Admin.(Services)/2025–Sushri Durgesh Nandini, Judge Small Causes Court, Meerut to be Special Chief Judicial Magistrate, Meerut *vice* Sri Shailesh Pandey.

No. 585/Admin.(Services)/2025–Sri Aman Kumar Srivastava, Civil Judge (Senior Division), Meerut to be Civil Judge (Senior Division), Prayagraj *vice* Smt. Chetna Singh.

No. 586/Admin.(Services)/2025–Smt. Chetna Singh, Civil Judge (Senior Division), Prayagraj to be Civil Judge (Senior Division), Amroha *vice* Sri Abhishek Kumar Vyas.

No. 587/Admin.(Services)/2025–Sri Abhishek Kumar Vyas, Civil Judge (Senior Division), Amroha to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Amroha.

No. 588/Admin.(Services)/2025–Smt. Arpita Singh-I, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gautam Buddha Nagar to be Civil Judge (Senior Division), Banda *vice* Smt. Garima Singh-II.

No. 589/Admin.(Services)/2025–Smt. Garima Singh-II, Civil Judge (Senior Division), Banda to be Chief Judicial Magistrate, Mirzapur *vice* Sushri Pragya Singh-III.

No. 590/Admin.(Services)/2025–Sushri Pragya Singh-III, Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Deoria *vice* Sri Sundar Pal.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Deoria.

No. 591/Admin.(Services)/2025–Sri Sundar Pal, Additional Chief Judicial Magistrate, Deoria to be Additional Chief Judicial Magistrate, Pilibhit *vice* Sri Amit Kumar Yadav-II.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Pilibhit.

No. 592/Admin.(Services)/2025–Sri Amit Kumar Yadav-II, Additional Chief Judicial Magistrate, Pilibhit to be Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Kuwar Mitresh Singh Kushwaha.

No. 593/Admin.(Services)/2025–Sri Kuwar Mitresh Singh Kushwaha, Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Anand Mishra.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Lucknow.

No. 594/Admin.(Services)/2025–Sri Anand Mishra, Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Chief Judicial Magistrate, Bhadohi at Gyanpur vice Smt. Sabiha Khatoon.

No. 595/Admin.(Services)/2025–Smt. Sabiha Khatoon, Chief Judicial Magistrate, Bhadohi at Gyanpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Basti *vice* Sri Sandeep.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bhadohi at Gyanpur.

No. 596/Admin.(Services)/2025–Sri Sandeep, Additional Chief Judicial Magistrate, Basti to be Civil Judge (Senior Division), Basti *vice* Sri Amit Mishra.

No. 597/Admin.(Services)/2025–Sri Amit Mishra, Civil Judge (Senior Division), Basti to be Civil Judge (Senior Division), Raebareli *vice* Smt. Anisha.

No. 598/Admin.(Services)/2025–Smt. Anisha, Civil Judge (Senior Division), Raebareli to be Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareli *vice* Sri Amod Kanth.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Raebareli.

No. 599/Admin.(Services)/2025–Sri Amod Kanth, Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareli to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareli.

No. 600/Admin.(Services)/2025–Sri Neeraj Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Raebareli to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

No.601/Admin.(Services)/2025–Sri Divyakant Singh Rathore, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gautan Buddha Nagar to be Additional Chief Judicial Magistrate, Banda *vice* Sri Prafful Kumar Chaudhary.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Banda.

No. 602/Admin.(Services)/2025–Sri Prafful Kumar Chaudhary, Additional Chief Judicial Magistrate, Banda to be Chief Judicial Magistrate, Banda *vice* Bhagwan Das Gupta.

No. 603/Admin.(Services)/2025–Sri Bhagwan Das Gupta, Chief Judicial Magistrate, Banda to be Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur *vice* Sri Arun Kumar Yadava.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Gorakhpur.

No. 604/Admin.(Services)/2025–Sri Arun Kumar Yadava, Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 605/Admin.(Services)/2025–Sri Palash Ganguly, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur.

No. 606/Admin.(Services)/2025–Sri Ankur Chitranshi, Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

No. 607/Admin.(Services)/2025–Smt. Deepika Attri, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 608/Admin.(Services)/2025–Sri Deependra Kumar Gupta, Additional Civil Judge (Senior Division), Ghazipur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ghazipur *vice* Sri Amit Kumar-II.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ghazipur.

No. 609/Admin.(Services)/2025–Sri Amit Kumar-II, Additional Chief Judicial Magistrate, Ghazipur to be Civil Judge (Senior Division), Ghazipur *vice* Smt. Nutan Dwivedi.

No. 610/Admin.(Services)/2025–Smt. Nutan Dwivedi, Civil Judge (Senior Division), Ghazipur to be Chief Judicial Magistrate, Ghazipur *vice* Sri Swapna Anand.

No. 611/Admin.(Services)/2025–Sri Swapna Anand, Chief Judicial Magistrate, Ghazipur to be Judge Small Causes Court, Meerut *vice* Sushri Durgesh Nandini.

No. 612/Admin.(Services)/2025–Sri Aishwarya Pratap Singh, Judge Small Causes Court, Ghaziabad to be Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad *vice* Sri Jasveer Singh Yadav.

No. 613/Admin.(Services)/2025–Smt. Neha Banaudhia, Civil Judge (Senior Division), Ghaziabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad *vice* Sri Anand Kumar Upadhyay.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ghaziabad.

No. 614/Admin.(Services)/2025–Sri Sawan Kumar Vikas, Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

No. 615/Admin.(Services)/2025–Smt. Swati Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad.

No. 616/Admin.(Services)/2025–Sri Abhishek Kumar Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Moradabad *vice* Sushri Archana Singh-II.

No. 617/Admin.(Services)/2025–Sushri Archana Singh-II, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Moradabad to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Bulandshahar *vice* Sri Ankur Choudhary.

No. 618/Admin.(Services)/2025–Sri Ankur Choudhary, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Bulandshahar to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar.

No. 619/Admin.(Services)/2025–Sri Kanhaiya Ji, Additional Chief Judicial Magistrate, Jhansi to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Agra.

No. 620/Admin.(Services)/2025–Sri Deepankar Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Agra to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri *vice* Sri Aditya Jaiswal.

No. 621/Admin.(Services)/2025–Sri Aditya Jaiswal, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Lakhimpur Kheri to be Additional Civil Judge (Senior Division), Hapur.

No. 622/Admin.(Services)/2025–Smt. Kalpana Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jhansi to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun.

No. 623/Admin.(Services)/2025–Sri Rahul, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Jhansi to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Sonbhadra *vice* Sushri Deekshi Chaudhary.

No. 624/Admin.(Services)/2025–Sushri Deekshi Chaudhary, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Sonbhadra to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Bareilly *vice* Smt. Anupriya.

No. 625/Admin.(Services)/2025–Smt. Anupriya, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Bareilly to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly.

No.626/Admin.(Services)/2025–Smt. Shambhavi-I, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be Additional Civil Judge (Senior Division), Jalaun at Orai.

No.627/Admin.(Services)/2025–Sri Swatantra Singh Rawat, Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Lucknow to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar.

No. 628/Admin.(Services)/2025–Sri Saurabh Srivastava-II, Additional Civil Judge (Senior Division), Kanpur Nagar to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur.

No. 629/Admin.(Services)/2025–Sri Nitin Kumar Rathi, Civil Judge (Senior Division), Mahoba to be Chief Judicial Magistrate, Mahoba *vice* Sri Shivarth Khare.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mahoba

No. 630/Admin.(Services)/2025–Sri Shivarth Khare, Chief Judicial Magistrate, Mahoba to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Etawah *vice* Smt. Kirti Singh.

No. 631/Admin.(Services)/2025–Smt. Kirti Singh, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Etawah to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Shahjahanpur.

No. 632/Admin.(Services)/2025–Sushri Garima Singh-III, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Shahjahanpur to be Civil Judge (Senior Division), Mainpuri *vice* Sri Vimlesh Saroj.

No. 633/Admin.(Services)/2025–Sri Vimlesh Saroj, Civil Judge (Senior Division), Mainpuri to be Chief Judicial Magistrate, Mainpuri *vice* Smt. Namrata Singh-I.

No.634/Admin.(Services)/2025–Smt. Namrata Singh-I, Chief Judicial Magistrate, Mainpuri to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

No. 635/Admin.(Services)/2025–Sri Nadeem Anwar, Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

No. 636/Admin.(Services)/2025–Smt. Prachi Agrawal, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Barabanki.

No.637/Admin.(Services)/2025–Sri Pushpendra Chaudhary, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Mahoba to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Budaun *vice* Sri Amit Kumar Singh.

No. 638/Admin.(Services)/2025–Sri Amit Kumar Singh, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Budaun to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur *vice* Sri Avinash Ranjan.

No. 639/Admin.(Services)/2025–Sri Avinash Ranjan, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Bhadohi at Gyanpur to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Fatehpur *vice* Sri Anupam Kushwaha.

No. 640/Admin.(Services)/2025–Sri Anupam Kushwaha, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Fatehpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Chhibramau (Kannauj) *vice* Smt. Saloni Rastogi.

No. 641/Admin.(Services)/2025–Smt. Saloni Rastogi, Additional Chief Judicial Magistrate, Chhibramau (Kannauj) to be Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly *vice* Smt. Shweta Yadav-I.

No. 642/Admin.(Services)/2025–Smt. Shweta Yadav-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Bareilly to be Chief Judicial Magistrate, Jaunpur *vice* Smt. Shilpi Chaturvedi.

No. 643/Admin.(Services)/2025–Smt. Shilpi Chaturvedi, Chief Judicial Magistrate, Jaunpur to be Civil Judge (Senior Division), Jaunpur *vice* Sri Anuj Kumar Jauher.

No. 644/Admin.(Services)/2025–Sri Anuj Kumar Jauher, Civil Judge (Senior Division), Jaunpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur.

No. 645/Admin.(Services)/2025–Smt. Kiran Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lakhimpur Kheri.

No.646/Admin.(Services)/2025–Smt. Kurnika Awadh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lakhimpur Kheri to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar.

No. 647/Admin.(Services)/2025–Sri Ashish Kumar Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar to be Additional Chief Judicial Magistrate, Bhadohi at Gyanpur *vice* Smt. Harkiran Kaur.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bhadohi at Gyanpur.

No. 648/Admin.(Services)/2025–Smt. Harkiran Kaur, Additional Chief Judicial Magistrate, Bhadohi at Gyanpur to Civil Judge (Senior Division), Bhadohi at Gyanpur *vice* Sri Arif Ahmad Ansari.

No. 649/Admin.(Services)/2025–Sri Arif Ahmad Ansari, Civil Judge (Senior Division), Bhadohi at Gyanpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Basti.

No. 650/Admin.(Services)/2025–Sri Abhishek Jaiswal-I, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Basti to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Basti *vice* Sri Vinod Kumar Yadav.

No. 651/Admin.(Services)/2025–Sri Vinod Kumar Yadav, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Basti to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Bahraich *vice* Sushri Shailja Mishra.

No.652/Admin.(Services)/2025–Sushri Shailja Mishra, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Bahraich to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Deoria *vice* Sri Shrikant Gaurav.

No. 653/Admin.(Services)/2025–Sri Shrikant Gaurav, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Deoria to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi.

No. 654/Admin.(Services)/2025–Sri Saket Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad.

No. 655/Admin.(Services)/2025–Smt. Nitika Rajan, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Azamgarh.

No. 656/Admin.(Services)/2025–Sri Sunil Kumar Singh-V, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Azamgarh to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Sant Kabir Nagar.

No. 657/Admin.(Services)/2025–Sri Anupam Dixit, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Mathura to be Additional Chief Judicial Magistrate, Mathura *vice* Sushri Sonika Verma.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mathura.

No.658/Admin.(Services)/2025–Sushri Sonika Verma, Additional Chief Judicial Magistrate, Mathura to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

No. 659/Admin.(Services)/2025–Sri Yogesh Jain, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 660/Admin.(Services)/2025–Sri Arnav Raj Chakravorty, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar.

No. 661/Admin.(Services)/2025–Smt. Rashi Tomar, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Aligarh *vice* Sri Yashpal Verma.

No. 662/Admin.(Services)/2025–Sri Yashpal Verma, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Aligarh to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Jaunpur *vice* Smt. Yogita Kumar.

No. 663/Admin.(Services)/2025–Smt. Yogita Kumar, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Jaunpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya.

No. 664/Admin.(Services)/2025–Sri Atul Pal, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Azamgarh *vice* Sri Deepak Kumar Singh.

No. 665/Admin.(Services)/2025–Sri Deepak Kumar Singh, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Azamgarh to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Maharajganj *vice* Sri Sunil Kumar Nagar.

No. 666/Admin.(Services)/2025–Sri Sunil Kumar Nagar, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Maharajganj to be Additional Civil Judge (Senior Division), Maharajganj.

No. 667/Admin.(Services)/2025–Sushri Anupam Singh-II, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Mathura to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar.

No.668/Admin.(Services)/2025–Sushri Yogesh Shiva, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar to be Additional Civil Judge (Senior Division), Firozabad.

No.669/Admin.(Services)/2025–Sushri Nagma Khan, Additional Civil Judge (Senior Division), Firozabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Firozabad *vice* Dr. (Sushri) Nidhi Yadav-I.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Firozabad.

No. 670/Admin.(Services)/2025–Dr. (Sushri) Nidhi Yadav-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Firozabad to be Civil Judge (Senior Division), Firozabad *vice* Sri Prem Bahadur Singh.

No. 671/Admin.(Services)/2025– Sri Prem Bahadur Singh, Civil Judge (Senior Division), Firozabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj *vice* Smt. Diksha Shree.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Prayagraj.

No. 672/Admin.(Services)/2025–Smt. Diksha Shree, Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 673/Admin.(Services)/2025–Sri Brijendra Kumar Tripathi, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur.

No. 674/Admin.(Services)/2025–Sri Arpit Panwar, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi.

No. 675/Admin.(Services)/2025–Sri Pawan Kumar Singh-II, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Unnao.

No. 676/Admin.(Services)/2025–Sushri Anamika Chauhan-II, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Unnao to be Additional Civil Judge (Senior Division), Bhadohi at Gyanpur.

No. 677/Admin.(Services)/2025–Sushri Varnika Shukla, Additional Civil Judge (Senior Division), Bhadohi at Gyanpur to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Chitrakoot *vice* Sushri Sonam Gupta.

No.678/Admin.(Services)/2025–Sushri Sonam Gupta, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Chitrakoot to be Additional Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh *vice* Smt. Meenakshi Yadav.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Pratapgarh.

No. 679/Admin.(Services)/2025–Smt. Meenakshi Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Pratapgarh *vice* Smt. Bhawna Bhartiya.

No. 680/Admin.(Services)/2025–Smt. Bhawna Bhartiya, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Pratapgarh to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Varanasi *vice* Sri Yughul Shambhu.

No. 681/Admin.(Services)/2025–Sri Yughul Shambhu, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Varanasi to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Farrukhabad *vice* Sri Jaiveer Singh.

No. 682/Admin.(Services)/2025–Sri Jaiveer Singh, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Farrukhabad to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Farrukhabad.

No. 683/Admin.(Services)/2025–Smt. Komal Shukla, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Mathura to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar.

No. 684/Admin.(Services)/2025–Sri Ajay Kumar Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Bulandshahar to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda.

No. 685/Admin.(Services)/2025–Sushri Lalita Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur.

No. 686/Admin.(Services)/2025–Dr. (Smt.) Ganga Sharma, Additional Civil Judge (Senior Division), Fatehpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

No. 687/Admin.(Services)/2025–Sri Sumit Parasar, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Civil Judge (Senior Division), Jhansi *vice* Smt. Divya Chaudhary.

No. 688/Admin.(Services)/2025–Smt. Divya Chaudhary, Civil Judge (Senior Division), Jhansi to be Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Agra.

No. 689/Admin.(Services)/2025–Smt. Bhavya Srivastava, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Agra to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Sultanpur *vice* Sushri Ankita Singh-II.

No.690/Admin.(Services)/2025–Sushri Ankita Singh-II, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Sultanpur to be Additional Civil Judge (Senior Division), Baghpat.

No. 691/Admin.(Services)/2025–Sri Bhagat Singh, Additional Civil Judge (Senior Division), Baghpat to be Additional Chief Judicial Magistrate, Baghpat *vice* Smt. Sonali Poonia.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Baghpat.

No. 692/Admin.(Services)/2025–Smt. Sonali Poonia, Additional Chief Judicial Magistrate, Baghpat to be Civil Judge (Senior Division), Baghpat *vice* Ratnam Srivastav.

No. 693/Admin.(Services)/2025–Sri Ratnam Srivastav, Civil Judge (Senior Division), Baghpat to be Chief Judicial Magistrate, Baghpat *vice* Sri Rahul Kumar Singh.

No. 694/Admin.(Services)/2025–Sri Rahul Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Baghpat to be Judge Small Causes Court, Prayagraj *vice* Dr. Lucky.

No. 695/Admin.(Services)/2025–Dr. Lucky, Judge Small Causes Court, Prayagraj to be Chief Judicial Magistrate, Amroha *vice* Sri Om Pal Singh.

No. 696/Admin.(Services)/2025–Sri Om Pal Singh, Chief Judicial Magistrate, Amroha to be Judge Small Causes Court, Ghaziabad *vice* Sri Aishwarya Pratap Singh.

No. 697/Admin.(Services)/2025–Sri Jasveer Singh Yadav, Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad to be Civil Judge (Senior Division), Ghaziabad *vice* Smt. Neha Banaudhia.

No. 698/Admin.(Services)/2025–Sri Anand Kumar Upadhyay, Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

No. 699/Admin.(Services)/2025–Sri Ankit Verma, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Azamgarh.

No. 700/Admin.(Services)/2025–Sri Abhinay Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Azamgarh to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar.

No. 701/Admin.(Services)/2025–Sri Vinay Kumar Jaiswal, Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Moradabad to be Special Chief Judicial Magistrate, Prayagraj *vice* Smt. Pradipti Singh.

No. 702/Admin.(Services)/2025–Smt. Pradipti Singh, Special Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 703/Admin.(Services)/2025–Sri Manas Vatsa, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

No. 704/Admin.(Services)/2025–Dr. Devendra Singh Fauzdar, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Muzaffar Nagar to be Additional Chief Judicial Magistrate, Muzaffar Nagar *vice* Sushri Akanksha Garg.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Muzaffar Nagar.

No. 705/Admin.(Services)/2025–Sushri Akanksha Garg, Additional Chief Judicial Magistrate, Muzaffar Nagar to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hathras *vice* Sri Munna Lal.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hathras.

No. 706/Admin.(Services)/2025–Sri Munna Lal, Additional Chief Judicial Magistrate, Hathras to be Chief Judicial Magistrate, Jhansi *vice* Sri Eshwar Saran Kannaujia.

No. 707/Admin.(Services)/2025–Sri Eshwar Saran Kannaujia, Chief Judicial Magistrate, Jhansi to be Judge Small Causes Court, Jhansi *vice* Smt. Nuhin Zaidi.

No. 708/Admin.(Services)/2025–Smt. Nuhin Zaidi, Judge Small Causes Court, Jhansi to be Civil Judge (Senior Division), Pilibhit *vice* Smt. Neha Gangwar.

No. 709/Admin.(Services)/2025–Smt. Neha Gangwar, Civil Judge (Senior Division), Pilibhit to be Civil Judge (Senior Division), Lucknow *vice* Sri Sunil Kumar-VI.

No. 710/Admin.(Services)/2025–Sri Sunil Kumar-VI, Civil Judge (Senior Division), Lucknow to be Judge Small Causes Court, Ayodhya *vice* Sri Sudhanshu Shekar Upadhyay.

No. 711/Admin.(Services)/2025–Sri Sudhanshu Shekar Upadhyay, Judge Small Causes Court, Ayodhya to be Chief Judicial Magistrate, Ayodhya *vice* Sri Anshu Mali Pandey.

No. 712/Admin.(Services)/2025–Sri Anshu Mali Pandey, Chief Judicial Magistrate, Ayodhya to be Civil Judge (Senior Division), Ayodhya *vice* Sri Satish Kumar Magan.

No. 713/Admin.(Services)/2025–Sri Satish Kumar Magan, Civil Judge (Senior Division), Ayodhya to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya *vice* Sri Balram Das.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ayodhya.

No. 714/Admin.(Services)/2025–Sri Balram Das, Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya.

No. 715/Admin.(Services)/2025–Sri Navaid Muzaffar, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun.

No. 716/Admin.(Services)/2025–Sushri Richa Sharma, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Budaun to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi.

No. 717/Admin.(Services)/2025–Smt. Smita Goswami, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi *vice* Sushri Anita-II.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hardoi.

No. 718/Admin.(Services)/2025–Sushri Anita-II, Additional Chief Judicial Magistrate, Hardoi to be Civil Judge (Senior Division), Hardoi *vice* Smt. Richa Verma.

No. 719/Admin.(Services)/2025–Smt. Richa Verma, Civil Judge (Senior Division), Hardoi to be Chief Judicial Magistrate, Hardoi *vice* Sri Lal Bahadur Gond.

No. 720/Admin.(Services)/2025–Sri Lal Bahadur Gond, Chief Judicial Magistrate, Hardoi to be Judge Small Causes Court, Agra *vice* Sri Mritunjay Srivastava.

No.721/Admin.(Services)/2025–Sri Mritunjay Srivastava, Judge Small Causes Court, Agra to be Chief Judicial Magistrate, Agra *vice* Sri Achal Pratap Singh.

No. 722/Admin.(Services)/2025–Sri Achal Pratap Singh, Chief Judicial Magistrate, Agra to be Civil Judge (Senior Division), Agra *vice* Sri Shiva Nand Gupta.

No. 723/Admin.(Services)/2025–Sri Shiva Nand Gupta, Civil Judge (Senior Division), Agra to be Special Chief Judicial Magistrate, Agra *vice* Smt. Vineeta Singh-I.

No. 724/Admin.(Services)/2025–Smt. Vineeta Singh-I, Special Chief Judicial Magistrate, Agra to be Additional Chief Judicial Magistrate, Agra *vice* Sri Pankaj Kumar-I.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Agra.

No. 725/Admin.(Services)/2025–Sri Pankaj Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Agra to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Agra.

No.726/Admin.(Services)/2025–Sri Mayuresh Srivastav, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Agra to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur.

No. 727/Admin.(Services)/2025–Sri Amit Singh-III, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar.

No. 728/Admin.(Services)/2025–Sri Rahul Anand-II, Additional Civil Judge (Senior Division), Kanpur Nagar to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Balrampur in the vacant court.

No.729/Admin.(Services)/2025–Dr. Satyendra Kumar Chaudhary, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Muzaffar Nagar to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Muzaffar Nagar *vice* Smt. Surabhi Shree Gupta.

No. 730/Admin.(Services)/2025–Smt. Surabhi Shree Gupta, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Muzaffar Nagar to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Firozabad *vice* Sri Sushant Bahal.

No. 731/Admin.(Services)/2025–Sri Sushant Bahal, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Firozabad to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Prayagraj *vice* Smt. Kriti Kishore.

No. 732/Admin.(Services)/2025–Smt. Kriti Kishore, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Prayagraj to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Raebareli *vice* Smt. Divya Singh.

No. 733/Admin.(Services)/2025–Smt. Divya Singh, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Raebareli to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur.

No. 734/Admin.(Services)/2025–Sri Vaibhav Singh, Additional Civil Judge (Senior Division), Jaunpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad.

No. 735/Admin.(Services)/2025–Smt. Zeba Rauf, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur.

No. 736/Admin.(Services)/2025–Sri Satish Kumar-III, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Jaunpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Pilibhit.

No. 737/Admin.(Services)/2025–Sri Vishnu Shankar Pandey, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Muzaffar Nagar to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Auraiya *vice* Sri Tarkeshwari Prasad Singh.

No. 738/Admin.(Services)/2025–Sri Tarkeshwari Prasad Singh, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Auraiya to be Civil Judge (Senior Division), Auraiya *vice* Smt. Nidhi Shishodia.

No. 739/Admin.(Services)/2025–Smt. Nidhi Shishodia, Civil Judge (Senior Division), Auraiya to be Chief Judicial Magistrate, Auraiya *vice* Sri Jeevak Kumar Singh.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Auraiya.

No. 740/Admin.(Services)/2025–Sri Jeevak Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Auraiya to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

No. 741/Admin.(Services)/2025–Sri Arif Nisamuddin Khan, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 742/Admin.(Services)/2025–Smt. Nutan Chauhan, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Chief Judicial Magistrate, Mainpuri *vice* Smt. Vibha Dhama.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mainpuri.

No. 743/Admin.(Services)/2025–Smt. Vibha Dhama, Additional Chief Judicial Magistrate, Mainpuri to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Mainpuri.

No. 744/Admin.(Services)/2025–Sri Sumit Kumar-II, Additional Civil Judge (Senior Division), Pratapgarh to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Gautam Buddha Nagar *vice* Smt. Noopur Srivastava.

No. 745/Admin.(Services)/2025–Smt. Noopur Srivastava, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Gautam Buddha Nagar to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar.

No. 746/Admin.(Services)/2025–Smt. Shabina Khan, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar to be Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda *vice* Smt. Apeksha Singh.

She is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Gonda.

No. 747/Admin.(Services)/2025–Smt. Apeksha Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Gonda to be Civil Judge (Senior Division), Gonda *vice* Sri Amit Singh-II.

No. 748/Admin.(Services)/2025–Sri Amit Singh-II, Civil Judge (Senior Division), Gonda to be Chief Judicial Magistrate, Gonda *vice* Smt. Neha Rungta.

No. 749/Admin.(Services)/2025–Smt. Neha Rungta, Chief Judicial Magistrate, Gonda to be Civil Judge (Senior Division), Aligarh *vice* Sri Gajendra Singh.

No. 750/Admin.(Services)/2025–Sri Gajendra Singh, Civil Judge (Senior Division), Aligarh to be Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh *vice* Smt. Kriti Singh.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Aligarh.

No. 751/Admin.(Services)/2025–Smt. Kriti Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Aligarh.

No. 752/Admin.(Services)/2025–Sri Amit Kumar-I, Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Railway), Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

No. 753/Admin.(Services)/2025–Sri Prag Dutt Shukla, Additional Civil Judge (Senior Division), Ramabai Nagar to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Gorakhpur.

No. 754/Admin.(Services)/2025–Sri Tarun Kumar Agrawal, Additional Civil Judge (Senior Division), Gorakhpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar *vice* Smt. Sangeeta-I.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Ramabai Nagar.

No. 755/Admin.(Services)/2025–Smt. Sangeeta-I, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar to be Civil Judge (Senior Division), Atrauli (Aligarh) *vice* Sri Vakeel.

No. 756/Admin.(Services)/2025–Sri Vakeel, Civil Judge (Senior Division), Atrauli (Aligarh) to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Siddharth Nagar *vice* Sri Shailendra Nath.

No. 757/Admin.(Services)/2025–Sri Shailendra Nath, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Siddharth Nagar to be Additional Civil Judge (Senior Division), Siddharth Nagar.

No. 758/Admin.(Services)/2025–Sri Arun Kumar-IV, Additional Civil Judge (Senior Division), Siddharth Nagar to be Civil Judge (Senior Division), Siddharth Nagar *vice* Sri Anubhav Katiyar.

No. 759/Admin.(Services)/2025–Sri Anubhav Katiyar, Civil Judge (Senior Division), Siddharth Nagar to be Chief Judicial Magistrate, Siddharth Nagar *vice* Smt. Shraddha Bhartiya.

No. 760/Admin.(Services)/2025–Smt. Shraddha Bhartiya, Chief Judicial Magistrate, Siddharth Nagar to be Chief Judicial Magistrate, Kannauj *vice* Sri Milind Kumar Singh.

No. 761/Admin.(Services)/2025–Sri Milind Kumar Singh, Chief Judicial Magistrate, Kannauj to be Judge Small Causes Court, Moradabad *vice* Smt. Sweta Choudhary.

No. 762/Admin.(Services)/2025–Smt. Sweta Choudhary, Judge Small Causes Court, Moradabad to be Chief Judicial Magistrate, Moradabad *vice* Smt. Namrata Sharma.

No.763/Admin.(Services)/2025–Smt. Namrata Sharma, Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Civil Judge (Senior Division), Moradabad *vice* Sri Manindra Pal Singh.

No.764/Admin.(Services)/2025–Sri Manindra Pal Singh, Civil Judge (Senior Division), Moradabad to be Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad *vice* Sri Sarvesh Kumar Mishra.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Moradabad.

No. 765/Admin.(Services)/2025–Sri Sarvesh Kumar Mishra, Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad.

No. 766/Admin.(Services)/2025–Smt. Trisha Mishra, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Moradabad to be Chief Judicial Magistrate, Prayagraj *vice* Sri Shashi Kumar.

No. 767/Admin.(Services)/2025–Sri Shashi Kumar, Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 768/Admin.(Services)/2025–Sri Nitivan Nigam, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Chief Judicial Magistrate, Anoopshahar (Bulandshahar) *vice* Sri Vinay Kumar Singh-IV.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Anoopshahar (Bulandshahar).

No. 769/Admin.(Services)/2025–Sri Vinay Kumar Singh-IV, Additional Chief Judicial Magistrate, Anoopshahar (Bulandshahar) to be Chief Judicial Magistrate, Hamirpur *vice* Smt. Niharika Jaiswal.

No.770/Admin.(Services)/2025–Smt. Niharika Jaiswal, Chief Judicial Magistrate, Hamirpur to be Civil Judge (Senior Division), Hamirpur *vice* Sri Abhishek Tripathi-I.

No. 771/Admin.(Services)/2025–Sri Abhishek Tripathi-I, Civil Judge (Senior Division), Hamirpur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Hamirpur *vice* Smt. Vandana Agarwal.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Hamirpur.

No.772/Admin.(Services)/2025–Smt. Vandana Agarwal, Additional Chief Judicial Magistrate, Hamirpur to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Hamirpur in the vacant court.

No. 773/Admin.(Services)/2025–Sri Manoj Kumar Yadav-I, Civil Judge (Senior Division), Chandausi (Sambhal at Chandausi) to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 774/Admin.(Services)/2025–Smt. Tusharika Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Chandausi (Sambhal at Chandausi) to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 775/Admin.(Services)/2025–Sri Vishv Jeet Singh, Civil Judge (Senior Division), Shravasti at Bhinga to be Civil Judge (Senior Division), Kadipur (Sultanpur) in the vacant court.

No. 776/Admin.(Services)/2025–Sri Devarshi Dev Kumar, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Shravasti at Bhinga to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Kanpur Nagar *vice* Sri Arun Kumar Gupta.

No. 777/Admin.(Services)/2025–Sri Arun Kumar Gupta, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Kanpur Nagar to be Civil Judge (Senior Division), Chandauli *vice* Sri Sandeep Kumar.

No. 778/Admin.(Services)/2025–Sri Sandeep Kumar, Civil Judge (Senior Division), Chandauli to be Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur *vice* Sushri Roma Gupta.

He is also appointed U/s 9(2) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Fatehpur.

No. 779/Admin.(Services)/2025–Sushri Roma Gupta, Additional Chief Judicial Magistrate, Fatehpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur.

No. 780/Admin.(Services)/2025–Smt. Pomela Srivastava, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Sultanpur to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Kannauj *vice* Sri Ajay Pratap.

No. 781/Admin.(Services)/2025–Sri Ajay Pratap, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Kannauj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi.

No. 782/Admin.(Services)/2025–Smt. Alka, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Ramabai Nagar *vice* Smt. Avantika Prabhakar.

No. 783/Admin.(Services)/2025–Smt. Avantika Prabhakar, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Ramabai Nagar to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Shahjahanpur.

No.784/Admin.(Services)/2025–Smt. Ashalika Pandey, Additional Civil Judge (Senior Division), Sitapur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 785/Admin.(Services)/2025—Sushri Akansha Bajpai, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Unnao.

No. 786/Admin.(Services)/2025—Sushri Ambika Mehrotra, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Unnao to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Mirzapur *vice* Smt. Anjum Saifi.

No. 787/Admin.(Services)/2025—Smt. Anjum Saifi, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Mirzapur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut.

No. 788/Admin.(Services)/2025—Sushri Swarnmala Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Sonbhadra to be Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya.

No. 789/Admin.(Services)/2025—Sushri Preeti Giri, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya to be Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Mainpuri.

No.790/Admin.(Services)/2025—Sri Mahendra Kumar Pandey, Additional Chief Judicial Magistrate (Northern Eastern Railway), Varanasi to be Additional Civil Judge (Senior Division), Hamirpur.

No. 791/Admin.(Services)/2025—On reversion to the regular line, Smt. Ranjini Shukla, Joint Registrar, U.P., Information Commission, Lucknow to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya.

No. 792/Admin.(Services)/2025—Sushri Sakshi Singh, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Ayodhya to be Additional Civil Judge (Senior Division), Mau.

No. 793/Admin.(Services)/2025—On reversion to the regular line, Smt. Tahreem Khan, Registrar, U.P. Real Estate Appellate Tribunal, Lucknow to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No. 794/Admin.(Services)/2025—Sri Purushottam Awasthi, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Civil Judge (Senior Division), Bansgaon (Gorakhpur) *vice* Sri Sachin Verma.

No. 795/Admin.(Services)/2025—Sri Sachin Verma, Civil Judge (Senior Division), Bansgaon (Gorakhpur) to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Hardoi *vice* Sri Vivek Chaudhary.

No. 796/Admin.(Services)/2025—Sri Vivek Chaudhary, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Hardoi to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi.

No. 797/Admin.(Services)/2025—Dr. Dharmendra Kumar Yadav, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Varanasi to be Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Ambedkar Nagar at Akbarpur *vice* Sushri Gargi.

No. 798/Admin.(Services)/2025—Sushri Gargi, Civil Judge (Senior Division) (Fast Track Court), Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ambedkar Nagar at Akbarpur.

No. 799/Admin.(Services)/2025—Sushri Jyotsna Mani Yaduvanshi, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Ambedkar Nagar at Akbarpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj.

No.800/Admin.(Services)/2025—Sushri Shalini Vidhey, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Prayagraj to be Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

No. 801/Admin.(Services)/2025—On reversion to the regular line, Sri **Sanjay Singh-II**, Deputy Secretary, U.P. State Legal Services Authority, Lucknow to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Ghaziabad.

No.802/Admin.(Services)/2025—Smt. **Sadhana Giri**, Additional Civil Judge (Senior Division), Bhadohi at Gyanpur to be Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar.

No. 803/Admin.(Services)/2025—Smt. **Akriti Gautam**, Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Kanpur Nagar to be Civil Judge (Senior Division), Kunda (Pratapgarh) *vice* Sri Anupam Dubey.

No. 804/Admin.(Services)/2025—Sri **Anupam Dubey**, Civil Judge (Senior Division), Kunda (Pratapgarh) to be Additional Civil Judge (Senior Division)/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

No. 805/Admin.(Services)/2025—Sushri **Kisa Zaheer**, Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Civil Judge (Senior Division)/ Additional Chief Judicial Magistrate, Bhadohi at Gyanpur.

By Order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन कि विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रारूप-19

नियम-27 का उप नियम (1),

[अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत]

अधिसूचना

दिनांक 20 अप्रैल, 2026 ई०

सं० 541/आठ-वि०भू०अ०अ०/मुरादाबाद/2026—उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि०अभि० मध्य गंगा नहर गुण नियंत्रण खण्ड-2, हरिद्वार (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, ग्राम..., श्योपुरी...में कुल 0.1069 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उप धारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-150 दिनांक 05.01.2026 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 24.01.2026 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर सम्भल को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उप धारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, ग्राम-श्योपुरी में कुल 0.1069 हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु सम्भल के कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है—

अनुसूची "क"

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हे०
सम्भल	सम्भल	सम्भल	श्योपुरी	210	0.0260
"	"	"	"	211	0.0809
				योग.....	0.1069

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

विस्थापित परिवारों की संख्या "शून्य"

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

डॉ० राजेन्द्र पैसिया,
जिलाधिकारी-सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM – 19

[Sub-rule (1) of rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-section (1) of section-19 of the act]

NOTIFICATION

April 20, 2026

No. 541/VIII-S.L.A.O./SAMBHAL--Whereas Preliminary Notification No ...150. /VIII/ S.L.A.O./ Sambhal/23, Dated: 05.01.2026 Was issued under Sub section (1) of section II of the right to fair compensation and Transparency in rehabilitation and resettlement Act, 2013 in respect of 0.1069 Hectares of

land Village-Shyopuri, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal is required for public purpose namely project Madhya Ganga Canal Project (Stage-II) though Executive Engineer Madhya Ganga Canal Quality Control Division-2, Haridwar (Name of requiring body and laily Published on dated 24.01.2026 The Deputy Collector Sambhal was appointed is administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of this project affected families.

After Considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub-section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of land mentioned in the give Schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of the land mentioned in the given Schedule "A" is needed for public purpose and land to the extent of 0.1069 hectares in Village-Shyopuri, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal as given in Schedule "B" has been identified as the rehabilitation and resettlement area for the purpose of rehabilitation and resettlement of the displaced families.

The Government is futher pleased under Sub-section (2) of section 19 of the act, to direct the Collector of Sambhal to publish a summary of the rehabilitation and resettlement scheme with publication of the declaration to this effect.The summary of the rehabilitation and resettlement Scheme is attached here with-

SCHEDULE "A"

(Land under purpose acquisition)

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
1	Sambhal	Sambhal	Sambhal	Shyopuri	210	0.0260
2	„	„	„	„	211	0.0809
Total . .						0.1069

SCHEDULE "B"

(Land indentified as settlement area for displaced Families)

Sl. No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area earmarked for rehabilitation
1	2	3	4	5	6	7
						Hectare
Nil						

NOTE-A Site plan of land may be inspected in the Office of the District Magistrate, Sambhal.

Dr. Rajendra Pansiya,
District Magistrate,
Sambhal.

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता
का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19****अधिसूचना**

15 मई, 2026 ई०

सं० 80(viii)/08-अ०जि०अ०(भू०अ०)शा०सहा०परि०, लखनऊ-अधिषासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लखनऊ द्वारा संचालित राजाजी पुरम स्थित जलालपुर फाटक के समीप लक्ष्मण बिहार पारा रोड पर किमी० 17.372 पर रेलवे क्रासिंग संख्या-08 स्पेसल/2टी पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण के लिए ग्राम-पारा, तहसील-सदर, जिला-लखनऊ में 0.2869 हे० की भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-1438/08-अ०जि०अ०(भू०अ०) शा०सहा०परि०, लखनऊ दिनांक-19.02.2026 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से कार्यालय के पत्र संख्या-1439/08-अ०जि०अ०(भू०अ०) शा०सहा०परि०, लखनऊ दिनांक 19.02.2026 को निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रकाशित कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक-28.04.2026 पर विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है—

अनुसूची

क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
01	लखनऊ	सदर	पारा	702सं	0.0103
02				703	0.0250
03				705	0.0133
04				755	0.0239
05				756	0.0231
06				757	0.0114
07				758	0.0057
08				763	0.0116
09				764	0.0094
10				765	0.0094

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
11				773अ	0.0297
12				775	0.0172
13				779	0.0137
14				781	0.0161
15				784	0.0236
16				786	0.0227
17				805	0.0013
18				1005	
				(प्लॉट सं०-डी-2, डी-2 व डी-4)	0.0195
योग . .					0.2869

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) शारदा सहायक परियोजना, कक्ष सं.—40, कलेक्ट्रेट, लखनऊ स्थित कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखा जा सकता है।

विशाख जी०,
जिलाधिकारी,
लखनऊ।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 30 मई, 2026 ई० (ज्येष्ठ 9, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, मुँगरा बादशाहपुर, जौनपुर

13 नवम्बर, 2025 ई०

सं० 1014/कर०अनु०/2025-26- उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 (अधिनियम सं०-2 सन् 1916 ई०) की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के मुँगरा बादशाहपुर नगर पालिका परिषद अपनी नगरीय सीमान्तर्गत लागू लाईसेंस मदो के वर्तमान लाईसेंसिंग शुल्को की दरों में संशोधन एवं अन्य नये विभिन्न प्रतिष्ठान/व्यवसायों को नियंत्रित करने हेतु "नगर पालिका परिषद मुँगरा बादशाहपुर सीमान्तर्गत/वाणिज्य नियंत्रण एवं विनियमितीकरण लाईसेंस उपविधि 2025" को बोर्ड बैठक दिनांक 21.05.2025 प्रस्ताव सं० 4(11) द्वारा नगर पालिका सीमा में लागू करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। उक्त उपविधि का प्रारूप उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित करने के लिये और इस उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र राष्ट्रीय सहारा एवं दैनिक जागरण दिनांक 21.09.2025 के अंक में प्रकाशित किया गया उपविधि पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिये गये समयावधि (30दिन) के भीतर कोई आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई उपविधि को नगर पालिका सीमा में लागू करने हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रारूप मूलरूप में बोर्ड बैठक दिनांक 13.11.2025 प्रस्ताव

सं0-03(2) द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में प्रकाशित किया जाता है। उक्त उपविधि गजट की तिथि से नगर पालिका सीमा में प्रभावी होगा।

**नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर सीमान्तर्गत वाणिज्य नियंत्रण एवं विनियमितीकरण
लाईसेंस उपविधि-2025**

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ-1-(1) यह उपविधि "नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर सीमान्तर्गत वाणिज्य नियंत्रण एवं अन्य शुल्क विनियमितीकरण लाईसेंस उपविधि 2025" कही जायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर सीमा में लागू होगी।

(3) उक्त उपविधि गजट की तिथि से नगर पालिका सीमा में प्रभावी होगा।

परिभाषाये-1 जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो तो इस उपविधि में-

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) नगर पालिका परिषद का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर के अध्यक्ष से है।

(ङ) बोर्ड/प्रशासक का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर बोर्ड/प्रशासक से है।

(च) लाईसेंस अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर से या इनके

द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रियित राजस्व सेवा के अधिकारी से है।

(छ) वित्तीय वर्ष का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है।

(ज) लाईसेंस शुल्क का तात्पर्य लाईसेंस मद के लिये वित्तीय वर्ष में निर्धारित शुल्क से है।

3.-वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु लाईसेंस-1 नगर पालिका क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों बिना लाईसेंस प्राप्त किये नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण-वाणिज्यिक गतिविधियों का तात्पर्य अनुसूची में अंकित वाणिज्यिक क्रियाकलाप से है।

2-लाईसेंस हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में किया जायेगा।

3-प्रदत्त लाईसेंस इस उपविधि में एवं विहित प्राधिकारी द्वारा आरोपित उपबन्धों के अधीन होगा।

4-लाईसेंस आवेदन पत्र के साथ निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अनुसूची में निर्धारित दर पर लाईसेंस शुल्क भुगतान की रसीद संलग्न की जायेगी।

5-केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य किसी विधि नियत संस्था द्वारा निर्दिष्ट वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु कोई लाईसेंस इस उपविधि के अन्तर्गत वांछित लाईसेंस से भिन्न समझा जायेगा।

6-लाईसेंस अधिकारी आवेदक को आवेदन पत्र में अंकित किसी तथ्यों के साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

4-लाईसेंस अधिकारी का अधिकार—1-लाईसेंस निर्गत करने से पूर्व विहित अधिकारी ऐसी जाँच करना जैसा वह आवश्यक समझे कर सकता है।

2-जाँच के उपरान्त विहित अधिकारी या उसके द्वारा नामित अधिकारी/कर्मचारी को यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा इस उपविधि के अन्तर्गत वांछित समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है, तो वह आवेदक के पक्ष में लाईसेंस स्वीकृत कर सकता है।

3-यदि विहित अधिकारी को उपनियम (2) में समाधान नहीं होता है तो वह—

(क) आवेदक को समाधान हेतु साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अतिरिक्त अवसर प्रदान कर सकता है।

(ख) कारण उल्लिखित करते हुये आवेदन स्वीकार कर सकता है।

5-लाईसेंस का प्रारूप—(1) इस उपविधि के अन्तर्गत निर्गत प्रत्येक लाईसेंस लिखित रूप में एवं विहित प्रारूप में होगा।

(2) लाईसेंस 01 अप्रैल से 31 मार्च (वित्तीय वर्ष) के लिये जारी किया जायेगा। जहाँ आवेदन वर्ष के मध्य में किया जाता है, वहाँ लाईसेंस निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च तक ही वैध होगा।

(3) वर्ष के किसी अंश के लिये जारी लाईसेंस के लिये भी अनुसूची में दी गई लाईसेंस मद की पूर्ण धनराशि देय होगी।

(4) लाईसेंस का नवीनीकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मई से पूर्व करना अनिवार्य होगा। विलम्ब की दशा में लाईसेंस शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब लाईसेंस शुल्क के साथ देय होगा।

अन्य उपबन्ध—(1) सम्बन्धित वाणिज्यिक गतिविधि हेतु प्रयुक्त भवन को स्वच्छ एवं प्रदुषण मुक्त रखने का दायित्व लाईसेंसी का होगा।

(2) लाईसेंसी प्रयुक्त भवन में अग्निशमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा।

(3) लाईसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति वाणिज्यिक गतिविधि या उससे सम्बन्धित किसी अन्य क्रियाकलाप में योजित नहीं किया गया है।

(4) लाईसेंसी वाणिज्यिक गतिविधि के कारण उत्पन्न कूड़े-कचरे का समुचित निस्तारण अपने व्यय पर सुनिश्चित करेगा।

(5) अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्रसूतीगृह व अन्य चिकित्सकीय केन्द्रों हेतु विशेष उपबन्ध :—

(क)—लाईसेंसी अस्पतालों, प्रसूती गृह नर्सिंग होम व अन्य चिकित्सा केन्द्रों में उत्पन्न मेडिकल कूड़े का निस्तारण सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लाईसेंसी इंसीनेटर/वेंडर के माध्यम से सुनिश्चित करेगा।

(ख)—लाईसेंसी प्रयुक्त भवन को स्वच्छ एवं किटाणु मुक्त रखेगा।

(6)—लाईसेंसी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानको एवं शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

(7)—प्रत्येक दुकान के उपर टांगने वाले बोर्ड/विज्ञापन पालिका के स्वीकृत के पश्चात ही लगाया जायेगा।

(8)—प्रत्येक मांस मछली विक्रेता को अपनी दुकान पर चिक (पर्दा) टांगना अनिवार्य होगा।

(9)—आटो रिक्शा/ई-रिक्शा में निर्धारित सीट से अधिक व्यक्ति नहीं बैठाया जायेगा।

(10)—लाईसेंस शुल्क की दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें या नियमावली प्रवृत्त हुई हो, में वृद्धि अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/बोर्ड/प्रशासक नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर कभी भी कर सकते हैं। अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/बोर्ड/प्रशासक द्वारा लाईसेंस शुल्क की दरों में वृद्धि न करने की स्थिति में दो वित्तीय वर्ष के समाप्त के पश्चात लाईसेंस शुल्क 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा। तत्पश्चात इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात प्रभावी होगी।

11—लाईसेंस मद एवं लाईसेंस शुल्क—

अनुसूची

क्र० सं०	लाईसेंस मद का नाम	शुल्क (रु०)
1	2	3
		रूपये
1	होटल/गेस्ट हाउस/बरात घर/लॉजिंग	रु० 5,000.00 (वार्षिक)
2	नर्सिंग होम	10 बेड तक रु० 5,000.00 (वार्षिक) 10 बेड से अधिक रु० 20,000 (वार्षिक)
3	प्राइवेट हास्पिटल	10 बेड का रु० 5,000.00 (वार्षिक) 10 बेड से अधिक रु० 20,000.0 (वार्षिक)
4	प्रसूती गृह	10 बेड का रु० 5,000 (वार्षिक) 10 बेड से अधिक रु० 20,000.00 (वार्षिक)
5	पैथोलॉजी सेन्टर	रु० 2,000.00 (वार्षिक)
6	एक्सरे सेन्टर	रु० 2,000.00 (वार्षिक)
7	डेण्टल क्लीनिक	रु० 4,000.00 (वार्षिक)
8	प्राइवेट क्लीनिक (एलोपैथी)	रु० 4,000.00 (वार्षिक)
9	प्राइवेट क्लीनिक (होम्योपैथी, आयुर्वेदिक)	रु० 2,000.00 (वार्षिक)
10	ठेकेदार लाईसेंस पंजीकरण(प्रथम बार)	रु० 1,00,000.00 (वार्षिक)
11	ठेकेदार लाईसेंस नवीनीकरण	रु० 25,000.00 (वार्षिक)
12	ड्राफ्टमैन	रु० 10,000.00 (वार्षिक)
13	प्लम्बर	रु० 2,000.00 (वार्षिक)
14	कोचिंग सेन्टर	रु० 5,000.00 (वार्षिक)
15	रेस्टोरेन्ट	रु० 4,000.00 (वार्षिक)
16	ढाबा	रु० 2,000.00 (वार्षिक)
17	आओरो प्लांट	रु० 1,200.00 (वार्षिक)
18	आटा चक्की/तेल पेराई/रुई धुनाई इत्यदि	रु० 500.00 (वार्षिक)

1	2	3
19	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/सी0एन0जी0 पम्प	रु0 10,000.00 (वार्षिक)
20	मोटर वाहन एजेंसी/शो रूम (चार पहिया/तीन पहिया)	रु0 15,000.00 (वार्षिक)
21	मोटर वाहन एजेंसी/शो रूम (दो पहिया)	रु0 5,000.00 (वार्षिक)
22	सर्विस सेन्टर/ धुलाई सेन्टर	रु0 1,200.00 (वार्षिक)
23	सीमेन्ट, ईट, बालू (थोक मोरंग, मार्बल टाइल्स, सेनेटरी, हार्डवेयर)	रु0 1,200.00 (वार्षिक)
24	डिजिटल लाईब्रेरी	रु0 2,000.00 (वार्षिक)
25	जिम	रु0 1,200.00 (वार्षिक)
26	मिनी मार्ट/प्लाजा/मॉल	रु0 10,000.00 (वार्षिक)
27	देशी शराब (प्रति दुकान)	रु0 10,000.00 (वार्षिक)
28	विदेशी शराब/मॉडल शॉप (प्रति दुकान)	रु0 12,000.00 (वार्षिक)
29	भैंसा/बकरा मांस/मुर्गा मछली मांस की दुकान	रु0 2,000.00 (वार्षिक)
30	ई रिक्शा	रु0 500.00 (वार्षिक)
31	बार/वियर	रु0 12,000.00 (वार्षिक)
32	बिल्डर्स रजिस्टर्ड	रु0 6,000.00 (वार्षिक)
33	फाइनेंस कम्पनी चिटफण्ड प्रति शाखा	रु0 10,000.00 (वार्षिक)
34	इन्शुरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	रु0 12,000.00 (वार्षिक)
35	प्राइवेट नर्सिंग इंस्टिट्यूट	रु0 20,000.00 (वार्षिक)
36	टेला	रु0 100.00 (वार्षिक)
37	वाई-फाई शुल्क	रु0 18,000.00 (वार्षिक)
38	दूध डेयरी/पनीर	रु0 600.00 (वार्षिक)
39	कांजी हाउस/कान्हा गौशाला में बन्द जानवरों पर जुर्माना	रु0 1,000.00
40	खुराकी प्रतिदिन छोटे जानवर (बकरी आदि)	रु0 50.00 प्रतिदिन
41	खुराकी प्रतिदिन बड़े जानवर(गाय, भैस घोड़ा आदि)	रु0 150.00 प्रतिदिन
42	प्रदर्शनी	रु0 500.00 प्रतिदिन

दण्ड/प्रशमन

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर यह प्रविधान करती है कि (1) इस उपविधि में दिये गये किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति को अर्थदण्ड रू0 5,000 लिया जायेगा तथा निरंतर उल्लंघन की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम दोष सिद्ध की तिथियों से जब तक अपराध करता रहेगा के लिये रू0 250 प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा। (2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चाथाई से अधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत केन्द्रीय राजस्व सेवा के अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

अखिलेश तिवारी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर

13 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 1015/कर0अनु0/2025-26 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं0-2 सन् 1916 ई0) की धारा 293, 294 व 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर के मुंगरा बादशाहपुर नगर पालिका परिषद अपनी नगरीय सीमान्तर्गत आकाश चिन्ह, विज्ञापनों एवं प्रचार-प्रसार को नियंत्रित करने हेतु "नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर नगर पालिका सीमान्तर्गत आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन एवं प्रचार प्रसार नियंत्रण अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली सम्बन्धी उपविधि 2025" को बोर्ड बैठक दिनांक 21.05.2025 प्रस्ताव सं0 4(1) द्वारा नगर पालिका सीमा में लागू करने के लिये प्रस्तावित किया गया है। उक्त उपविधि का प्रारूप उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित करने के लिये और इस उपविधि के सम्बन्ध में आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने के दृष्टि से **दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला दिनांक 21.09.2025 एवं दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान में दिनांक 22.09.2025** के अंक में प्रकाशित किया गया उपविधि पर आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु दिये गये समयावधि (30दिन) के भीतर कोई आपत्ति कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई उपविधि को नगर पालिका सीमा में लागू करने हेतु समाचार-पत्र में प्रकाशित प्रारूप मूलरूप में बोर्ड बैठक दिनांक 13.11.2025 प्रस्ताव सं0-03(3) द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई है जिसे बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उपरोक्त उपविधि को उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-301 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी गजट उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में प्रकाशित किया जाता है। उक्त उपविधि गजट की तिथि से नगर पालिका सीमा में प्रभावी होगा।

नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का, विनियमन एवं प्रचार प्रसार नियंत्रण अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली सम्बन्धी) उपविधि 2025

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।	1 यह उपविधि "नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर (आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन एवं प्रचार-प्रसार नियंत्रण अनुज्ञप्ति शुल्क वसूली) उपविधि 2025" कही जायेगी। 2 इसका विस्तार नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा। 3 उक्त उपविधि गजट की तिथि से नगर पालिका सीमा में प्रभावी होगा।
2. परिभाषायें	(1) जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो. इस नियमावली में:— (एक) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 है। (दो) "विज्ञापनकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिये लिखित अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है। (तीन) "विज्ञापन प्रतीक" का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्संबंध में सूचना देने के लिये या जनता को किसी स्थान व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक, माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हो और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह: या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो. या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो (चार) "विज्ञापन" का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन करने से है, (पाँच) "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुये ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी आलम्ब से बंधा हो

	और कपड़े आदि के किसी पताका से उसके बिना हवा में लहरा रहा हो.
(छ)	"बैनर" का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य वस्तु से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र सप्रदर्शित किये जा सकते हैं.
(सात)	"पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी ऐसे प्रतीक से है जिसमें पताका या झण्डी उपयोग प्रदर्शन सतह के रूप में किया जाता हो।
(आठ)	"नगर पालिका" से तात्पर्य यथा स्थिति नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर से है.
(नौ)	"विद्युतीय विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं. प्रयुक्त किये जाते हैं.
(दस)	"भू-विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो. और जो भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ा या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिये दृश्य हो,
(ग्यारह)	"प्रदीप्त विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो स्थायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो.
(बारह)	"शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा से बाहर की ओर हो.
(तेरह)	"प्रक्षेपित विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे 300 मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो,
(चौदह)	"मार्ग अधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की चौड़ाई से है
(पन्द्रह)	"छत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर परिनिर्मित हो या रखा गया हो जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है.

(सोलह)	"प्रतीक संरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी संरचना से है जिसमें कोई प्रतीक अवलम्बित हो,
(सत्रह)	"अनुज्ञप्ति शुल्क" का तात्पर्य विज्ञापनों की विनियमन हेतु विनिर्दिष्ट वार्षिक प्रभार/मासिक प्रभार/दैनिक प्रभार से है।
(अठारह)	"अस्थायी विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनी हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिये वांछित किसी विज्ञापन, झण्डा या वस्त्र, केनवास, कपड़े या किसी संरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है।
(उन्नीस)	"बारण्डा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बाराण्डा से सम्बद्ध उससे संयोजित या उससे टांगे गये किसी विज्ञापन से है।
(बीस)	"सचल विज्ञापन" से तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी वाहन या अन्य साधनों से भ्रमण कर प्रदर्शित किया जाता है।
(इक्कीस)	"गैन्ट्री विज्ञापन" का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाढ़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से हैं।
(बाईस)	"यूनीपोल विज्ञापन" का तात्पर्य है कि यूनीपोल पर विज्ञापन पट लगाकर विज्ञापन करने से है।
(तेईस)	"बस सायबानों" (शेलटर) पर विज्ञापन का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टांगे गये अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से हैं।
(चौबीस)	"पुष्पपात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड" का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे लगाने के पश्चात प्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट लगाये जाने से है।
(पच्चीस)	"जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से हैं।
	"ट्रैफिक पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइलैण्ड" पर

3- प्रतिषेध	(छब्बीस)	विज्ञापन का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आइलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए।
	(सत्ताईस)	"ट्री गार्ड विज्ञापन" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अंतिम छोर पर पर्यावरण के दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के संप्रदर्शित प्रतीक से है।
	(अठ्ठाईस)	"दीवार प्रतीक" का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवन की बाह्य सतह या उसके संरचनात्मक से सीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो।
	(उन्तीस)	"अधिशायी अधिकारी/अध्यक्ष" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर के अधिशायी अधिकारी/अध्यक्ष से है।
	(तीस)	"राजस्व अधिकारी" का तात्पर्य उ०प्र० पालिका केन्द्रियित राजस्व संवर्ग के नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर में पदस्थ अधिकारी से है।
	(इक्तीस)	"बोर्ड/प्रशासक" का तात्पर्य नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर के बोर्ड/प्रशासक से है।
	(बत्तीस)	"आकाश चिन्ह" से तात्पर्य कोई शब्द, वर्ण नमूना चिन्ह युक्त या अन्य प्रतिरूप जो विज्ञापन घोषणा या निर्देश के रूप में हो और जो किसी भवन या ढाचे पर उसके पूर्णतः या अंशतः किसी खम्भे, बल्ली, घ्वज दण्ड, चौखट या अन्य किसी अवलम्ब के सहारे रखा हुआ हो और जो किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान के किसी भी स्थल से पूर्णतः या अंशतः आकाश पर दिखई देता हो।
	2	इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये समनुदेशित हो।
	(1)	अधिशायी अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगर के भीतर किसी भवन, पुल. मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार का सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा

4—अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया	वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा या लगायेगा न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा। नगर पालिका की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशासी अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न सम्प्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो। कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो। राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दाहिनी ओर से दृष्टिगोचर कोई विज्ञापन पट्ट, प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा। कोई विज्ञापन पट्ट विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के यथा निर्धारित दूरी अर्थात् 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा। विज्ञापन लगाने की स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा तथा आवेदन के समय स्थल का नजरी नक्शा तथा संरचना इन्जीनियर की संरचना के दृढ़ता सम्बन्धी रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किया जायेगा — विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण तथा संरचना इन्जीनियर की संरचना के दृढ़ता के सम्बन्ध में रिपोर्ट। राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर पालिका राजस्व सेवा का पदस्थ वरिष्ठ राजस्व अधिकारी/
--	---

5. अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें	(ख) अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञा की स्वीकृति दी जायेगी। (3) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना वांछित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुमति संलग्न होगी। (4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को यही लिखित समझौता करना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क के भुगतान करने के लिये दायी होगा। (5) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी। (6) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्री गार्ड को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात ऐसे ट्री गार्ड पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो यह इस उपविधि के अधीन कर भुगतान करने तथा पौधारोपण और उनके समुचित रख-रखाव और सुरक्षा का दायी होगा। (7) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो अधिशासी अधिकारी द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जायेगी। (8) प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित प्रीमियम एवं अनुज्ञा शुल्क की पूर्ण धनराशि जमा करने की रसीद संलग्न होगी। (1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि— अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिये प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क इस उपविधि के अनुसार
---	--

(क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (ट) (ठ)	संदत्त और जमा किया गया हो। विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुदभूत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये। विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा, प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी। विज्ञापन प्रतीक या विज्ञापन पट्ट की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा, विज्ञापन कर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिये अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे। विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे, मार्ग के लिये खुली छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साईकिल वालों के लिए स्वतंत्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिये उपलब्ध रहेगी, भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो. के प्रकाश और यातायात में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा। लोकहित में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर को यह अधिकार होगा कि वह अनुज्ञा अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे जिसके पश्चात विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा लेगा। विज्ञापनों से, अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये। भवन से संबंधित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष आने की अनुज्ञा नहीं होगी।
---	--

	विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाड़ा या बाधा नहीं जायेगा। (ड) विज्ञापनकर्ता को अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि तथा अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात ही अधिशासी अधिकारी द्वारा विज्ञापन किये जाने का आदेश जारी किया जायेगा। (2) (क) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से अनुमोदित (ख) प्रीमियम/विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपने प्रस्ताव वापिस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिये जमा की गई धनराशि जब्त कर ली जायेगी। (3) अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर द्वारा प्रदान की गई लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा— (क) यदि कोई परिवर्द्धन, अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर के निर्देश के बिना उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है, (ख) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भी भाग किसी दुर्घटना या किसी अन्य कारण से गिर जाता है। (ग) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है. या (घ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भजित या नष्ट हो जाती है। (4) निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति से अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुज्ञा शुल्क जमा उपरान्त दी जायेगी।
6. प्रीमियम/शर्तें	(1) प्रत्येक यूनीपोल/गैन्ट्री विज्ञापन पर रु० 10,0000.00—वार्षिक प्रीमियम नियत किया जाता है। जिसे विज्ञापन एजेन्सी द्वारा जमा किया जायेगा।
	(2) मुहर बंद लिफाफा में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिये

		न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।
	(3)	प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित पूर्ण धनराशि संलग्न होनी चाहिये।
	(4)	अधिकतम बोलीदाता/प्रस्तावक को पालिका के साथ राजकीय नियमों के अनुसार अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
	(5)	देय अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा-पत्र प्रदान की जायेगी।
	(6)	विज्ञापनकर्ता द्वारा नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर को अनुमोदित प्रीमियम और विज्ञापन शुल्क की पूर्ण धनराशि की 10 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूमि धनराशि जमा करने के पश्चात ही अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।
	(7)	विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्त अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।
	(8)	विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिये प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एक ही रूप से उपर्युक्त रीति से की जायेगी।
	(9)	यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो विनिर्दिष्ट देय वार्षिक विज्ञापन शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।
	(10)	यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान विद्युत् या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो तो विनिर्दिष्ट वार्षिक शुल्क और उच्चतम प्रीमियम की धनराशि आवेदक/विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगी।
7. आवेदन पत्र की अस्वीकृति का आधार	(1)	अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है—
	(क)	आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो
	(ख)	प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स

		या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर पालिका के प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो जैसा कि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका की राय में उसमें किसी प्रकार की सुविधाओं पर क्षतिकारक, प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।
	(ग)	प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।
	(घ)	प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिये क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो:
	(ङ.)	प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,
	(च)	प्रस्तावित विज्ञापन व विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो।
	(छ)	विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा-128 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदत्त हो।
8. अनुज्ञा प्रदान करने की रीति	(1)	किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चिन्हित करने या लटकाने हेतु विज्ञापन प्रभारी की संस्तुति पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना अधिशासी अधिकारी के लिये विधि सम्मत होगा—
	(एक)	सार्वजनिक नीलामी के द्वारा
	(दो)	निविदा आमंत्रण के द्वारा
	(तीन)	विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति प्रार्थना पत्र के द्वारा
9. अनुज्ञा की अवधि		अनुज्ञा की अवधि वहीं होगी जो अनुज्ञा पत्र में

	विनिर्दिष्ट है वार्षिक अनुज्ञा के दिनांक से एक वर्ष की अधिकतम अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गई, इसमें जो भी पहले हो, होगी। युनिपोल/गैन्ट्री विज्ञापन की अनुज्ञा की अधिकतम अवधि 3 वर्ष के लिये प्रदान की जायेगी। अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिये लिखित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने एवं निर्धारित अनुज्ञा शुल्क व प्रीमियम जमा करने के उपरान्त अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष की अनुमति से नवीनीकरण किया जायेगा।
10. विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति (1)	यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है, या लटकाया जाता है. या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो अधिशासी अधिकारी, विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है या मिटवा सकता है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली की जा सकती है—
(क)	ऐसे हटाये जाने या मिटाने जाने का व्यय और
(ख)	ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था. या लटकाया गया था, के लिये क्षतियों की धनराशि
(2)	जब कभी कोई विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणाम स्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था. मैं किसी क्षति या विकृति को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग की सतह, पगडण्डी, यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को पालिका द्वारा संबंधित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना

		चाहिये।
11. विज्ञापन पर निर्बन्धन	(1)	किसी संविदा या करार में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, लगाया नहीं जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा, या लटकाया नहीं जायेगा इत्यादि।
	(एक)	यह आकार में 40 फुट x 20 फुट से अधिक न हो, और इसका तल आधार भूतल से ऊपर 8 फुट से कम (यूनीपोल विज्ञापन की अधिकतम ऊँचाई 22 फुट को छोड़कर) हो।
	(दो)	यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से मापे गये 20 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो।
	(तीन)	यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे स्थानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो,
	(चार)	स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो,
	(पाँच)	यह मार्ग के आर पार एवं मार्ग पटरी/पगडंडी पर रखा गया हो
	(छः)	यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो,
	(सात)	यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों सार्वजनिक भवनों और दीवारों, चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालय और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो।
	(आठ)	विज्ञापन स्थल राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या निकाय द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो।
	(2)	विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप से अनुज्ञा नहीं दी जायेगी—
	(एक)	ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, संविलीन होने या प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो,
	(दो)	राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दाँयी ओर मार्ग के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के

		10 मीटर के भीतर:
	(तीन)	किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुये यातायात के विनियमन के लिये परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर
	(चार)	ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिये परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो:
	(पाँच)	किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों भित्ति पत्रकों, वस्त्र झण्डियों या पत्रांक पर जिनसे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिये परिसंकटमय हो.
	(छ)	ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो
	(सात)	जब इनसे स्थानीय सुविधायें प्रभावित हो।
	(3)	निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी—
	(एक)	विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिनमें जनसेवा सूचना यथा समय, ताप, मौसम या दिनांक इंगित करने वाले प्रकाशों को छोड़कर कोई चौंधने वाले आंतरायिक या गतिमान प्रकाश अन्तर्विष्ट है, सम्मिलित है या जो उनके द्वारा प्रदीप्त है।
	(दो)	ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो,
	(तीन)	विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट, जो इस रूप में प्रदीप्त हो जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट, युक्ति या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।
	(चार)	छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के संबंध में निर्बन्धन
	(क)	किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमत्य है

	(ख)	किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई, लोक सुरक्षा/जन सुरक्षा के दृष्टिगत निर्धारित होगी।
12. विज्ञापन पट्टों के प्रकार	(क)	विद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन
	(ख)	भू-विज्ञापन/यूनीपोल विज्ञापन
	(ग)	छत विज्ञापन
	(घ)	बरामदा विज्ञापन
	(ङ)	दीवार विज्ञापन
	(च)	प्रक्षिप्त विज्ञापन
	(छ)	विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन
	(ज)	आकाशीय विज्ञापन
	(झ)	पताका / झण्डी विज्ञापन
	(ञ)	शामियाना विज्ञापन
	(ट)	गुब्बारा विज्ञापन
	(ठ)	अस्थायी विज्ञापन
	(ड)	सचल (मोबाइल) विज्ञापन
	(ण)	विविध विज्ञापन
13. दुकानों पर विज्ञापन	1	किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर की पूर्व अनुमति के बिना और शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेंटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा। स्पष्टीकरण—
	2	यदि बेचे जाने वाली दुकानों के नाम, वस्तुओं या सामानों के नाम, फलक लटकाकर, पेंटिंग द्वारा किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किये जाये तो उन्हें विज्ञापन नहीं माना जायेगा और वे इस उपविधि के अधीन कराधेय नहीं होगा।
	3	यदि किसी वस्तु का उल्लेख हो और उसमें दुकान के नाम के साथ उसके गुण आदि का विवरण हो और सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस

		उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।
14. मार्ग अधिकार (राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन		मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौन्दर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्भर करते हुए निम्नलिखित विज्ञापन को मार्ग अधिकार के भीतर, राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी—
	(1)	मार्ग प्रकाश खम्बों पर विज्ञापन
	(2)	बस शेल्टर पर विज्ञापन
	(3)	स्थानों की पहचान के लिये महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन
	(4)	यातायात रोटरी क्लब और आइलैण्ड
	(5)	मैदानों/पंगडंडियों के किनारे रक्षक पट्टियां
	(6)	वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)
	(7)	पुष्पपात्र स्टैण्ड्स (Flower Pot Stands)
15. छूट	1	इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी
	2	यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान या केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है। जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो
	3	यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन में लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।
	4	किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखें किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।
	5	यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल यातायात चेतावनी और संदेश
	6	किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु इनकी माप 3x2 वर्ग फीट से अधिक न हो।
	7	यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

	8 यदि ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, जो उसके भीतर चलाये जा रहे, व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रेमकार ओमनीबस या अन्य वाहन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो. के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से संबंधित हो. परन्तु यह 1x2 मीटर से अधिक न हो। 9 यात्रा मार्ग निर्देश 10 राजमार्ग विज्ञापन पट्ट 11 धार्मिक, सामाजिक, सरकारी विभागों के जनहित में जारी होने वाले विज्ञापन कर मुक्त होंगे। शर्तें यह हैं कि विज्ञापन अवधि अधिकतम एक माह की होगी।
16. अस्थायी विज्ञापन	1 अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर उसे ऐसे निर्बन्धन एवं शर्तों पर और ऐसी दर पर जिसे वह उचित समझे अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर अस्थायी विज्ञापन प्रतीक परिनिर्मित करने प्रदर्शित करने संप्रदर्शित करने, लगाने, चस्पा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। 2 प्रत्येक ऐसी अनुज्ञा आदेश के दिनांक से एक माह तक के लिये विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रेतर एक माह के लिये बढ़ाया जा सकता है. यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रेतर अवधि के लिये हो तो अधिशासी अधिकारी के समक्ष स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
17 निषिद्ध क्षेत्र	निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन लगाना चिपकाना, लेखन, आरेखण वा लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित करे।

18. झण्डियों पर रोक	(1) कोई भी व्यक्ति अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की क्रिया नहीं करेगा। (2) कोई भी अनुज्ञा निकाय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदान नहीं की जायेगी। (3) इस उपविधि के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर द्वारा अधिरोपित की जाये और यह प्रति झण्डी दो सौ रुपये से कम नहीं होगी। (4) अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे समपहत या विनिष्ट कर सकता है।
19. अनुरक्षण और निरीक्षण	(1) अनुरक्षण सभी विज्ञापन जिनके लिये अनुज्ञा अपेक्षित है, अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगाने से रोकने के लिये रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा। (2) सुव्यवस्था प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन द्वारा छेके गये परिसर में सफाई स्वच्छता और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखें। (3) निरीक्षण प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिये परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान जिसके लिये कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण, प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार किया जायेगा।
20. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति	1 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर जौनपुर या इस निमित्त अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस उपविधि द्वारा या तदधीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के

		लिये आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है परन्तु –
	(क)	सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी या अध्यासी न हो तो भवन या भूमि के स्वामी को युक्तियुक्त सूचना दिये बिना इस प्रकार का प्रवेश नहीं किया जायेगा।
	(ख)	प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।
21. विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क भुगतान की रीति		विनिर्दिष्ट देय वार्षिक कर एकल किश्त में संदेय होगा और जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।
22. विज्ञापन पट्ट हटाये जाने की लागत		किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत की जायेगी।
23. विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट तथा अन्य विज्ञापन मदों पर अनुज्ञा शुल्क की दरें		
	1	भूमि, दीवाल व भवन, सार्वजनिक स्थलों व सड़को पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट का निर्माण एवं प्रदर्शन के लिये रु0 200 प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष।
	2	नगर पालिका परिषद की सीमा के अन्तर्गत यूनीपोल/गैन्ट्री विज्ञापन पट्ट निर्माण और प्रदर्शन के लिये साधारण विज्ञापन रु0 300 प्रति वर्ग फीट प्रति वर्ष।
	3	यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर विद्युत अथवा इलेक्ट्रिक/एलईडी प्रकाश युक्त या अन्य डिजिटल माध्यम द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित/प्रतिबिम्बित हो तो मद(1) व (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अधिक दरें प्रति वर्ष होगी।
	4	शक्ति चालित चार पहिया, तीन पहिया या अन्य वाहनों पर संचल विज्ञापन हल्का वाहन 250 रु0 प्रतिदिन भारी वाहन 350 रु0 प्रतिदिन।
	5	विद्युत तथा अन्य खम्भों पर क्रियास्क विज्ञापन रु0 100

	प्रति वर्ग फीट प्रति वर्ष। 6 ट्री गार्ड विज्ञापन के लिये विज्ञापन शुल्क रू0 75 प्रतिवर्ग फीट प्रति वर्ष। पोस्टर— 7 क—12x18 वर्ग इंच तक रू0 100 सैकड़ा न्यूनतम प्रति माह ख—12x18 वर्ग इंच से बड़ा रू0 200 सैकड़ा न्यूनतम प्रति माह पताका(बैनर) 8 क—3X10 वर्ग फुट रू0 500 प्रति माह 9 ख—3X10 वर्ग फुट से बड़ा रू0 700 प्रति माह 10 बाल पेंटिंग रू0 20 प्रति वर्ग फीट प्रतिवर्ष 11 गुब्बारा विज्ञापन रू0 300 प्रतिदिन 12 छतरी विज्ञापन रू0 200 प्रतिदिन 13 झण्डी विज्ञापन रू0 100 सैकड़ा प्रतिदिन ध्वनि विस्तारक यंत्र विज्ञापन रू0 200 प्रति बाक्स/स्पीकर प्रतिदिन
24 स्पष्टीकरण—	1 रेलवे की जमीन पर लगने वाली होर्डिंग जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क निर्धारित विज्ञापन शुल्क दरों का 75 प्रतिशत देय होगा। 2 अनुज्ञा शुल्क अग्रिम रूप से संदेय होगा। 3 अनुज्ञा शुल्क के सभी अवशेष (बकाया) अधिनियम के अध्याय 6 के अनुसार वसूली योग्य होंगे। 4 यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को तीन माह से अधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी अनुज्ञा शुल्क मासिक के आधार पर एक मुश्त वसूल करने का आदेश दे सकते हैं। 5 विनिर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क के दरें अनुवर्ती वित्तीय वर्ष जिसमें यह नियमावली प्रवृत्त हुई हो, में वृद्धि अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/बोर्ड/प्रशासक नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर कभी भी कर सकते हैं। अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/बोर्ड/प्रशासक द्वारा विज्ञापन अनुज्ञापति शुल्क में वृद्धि न करने की स्थिति में

	दो वित्तीय वर्ष के समाप्ति के बाद विज्ञापन शुल्क 10 प्रतिशत बढ़ जायेगा। तत्पश्चात इसी प्रकार की वृद्धि प्रत्येक दो वित्तीय वर्ष के समाप्त के पश्चात प्रभावी होगी।
25. अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन (1)	इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो पाँच हजार रुपये तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा, ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।
(2)	उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिये निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर या इस निमित्त अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पालिका केन्द्रीयित राजस्व सेवा के पदस्थ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रशामित किया जा सकता है।

अखिलेश तिवारी,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत निगोही, शाहजहांपुर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उपविधि, 2026

14 जनवरी, 2026 ई०

सं० 339/न०प०नि०/2025-26 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (अधिनियम सं० 2 सन 1916) की धारा-147 और धारा-298 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत निगोही की बोर्ड बैठक दिनांक 17.10.2025 को प्रस्ताव सं०-140 के द्वारा अनुमोदन उपरांत, नगर पंचायत निगोही में निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उपविधि, 2026 उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया, उसका निम्नलिखित प्रारूप अधिनियम, 1916 की धारा-301 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना के लिये और उसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से दो दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं स्वतंत्र भारत में दिनांक 14 जनवरी 2026 को प्रकाशित कराया गया था, आपत्तियों एवं सुझाव हेतु 30 दिवस का समय निश्चित किया गया है। निर्धारित अवधि में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। उक्त उपविधि सरकारी गजट उ०प्र० में प्रख्यापित किये जाने की दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नगर पंचायत निगोही (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन)

उपविधि, 2026

1—संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि नगर पंचायत निगोही (निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन) उपविधि, 2026 कही जायेगी।
- (2) यह नगर पंचायत निगोही में लागू होगी।
- (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—परिभाषाएँ—

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस उपविधि में।

(क) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ख) आबादी का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से जो राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में अभिलिखित हों और जिसका उपयोग नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद सीमा में उस क्षेत्र के सम्मिलित होने के दिनांक को उसके निवासियों के आवास और तत्सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये किया जा रहा हो।

(ग) निर्धारित सूची का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-141 के अधीन तैयार की गई कर निर्धारण सूची से है।

(घ) संशोधन और परिवर्तन का तात्पर्य अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन से है।

(ङ) सम्पत्ति का तात्पर्य यथा शक्ति किसी भवन या भूमि या दोनों से है।

(च) सम्पत्ति कर का तात्पर्य नगर पालिका परिषद पुर्वायों सीमा में अवस्थित भवनों या भूमियों या दोनों के वार्षिक मूल्य पर लगाये जाने वाले सामान्य कर/भवन, जलकर जल निस्तारण कर और स्वच्छता कर से है।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदोषित हों।

3—निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन का कारण—

(1) अधिनियम, 1916 की धारा-144 के अधीन नगर पंचायत निगोही कार्यालय में जमा प्रमाणीकृत कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-147 के अधीन उल्लिखित कारणों के प्रोदभूत होने की स्थिति में किया जा सकेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति जो निर्धारण सूची के प्रमाणीकरण होने के पश्चात् किसी कारण वश कराधान के लिये दायी हो गया है, उसका नाम सूची में सम्मिलित करके निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जायेगा।

(3) (क) किसी सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तान्तरण या स्वामित्व सामान्यता या निम्न के आधार पर प्राप्त होगा—

(एक) पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा

(दो) पंजीकृत वसीयत द्वारा

(तीन) पंजीकृत विभाजन विलेख द्वारा

(चार) पंजीकृत दान-पत्र द्वारा

(पाँच) विधिक उत्तराधिकार द्वारा

(ख) किसी सम्पत्ति के अध्यासी के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की स्थिति सामान्यता या इस प्रकार हो सकेगी।

(एक) नगर पंचायत निगोही सीमा में नवसम्मिलित आवादी क्षेत्र में स्थित सम्पत्ति।

(दो) गैर जमींदारी उन्मूलन (नान जेड0ए0) क्षेत्र की सम्पत्ति।

(तीन) किसी सम्पत्ति जिसका किराया दिया जाता हो या देय हों।

(चार) सम्पत्ति का किराया मुक्त किरायेदार और अनुज्ञापी।

(4) (क) सम्पत्ति के त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन वार्षिक मूल्य और कर की दर में वृद्धि/परिवर्तन होने से कर निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन किया जा सकेगा।

(ख) किसी भी समय जब यह स्पष्ट हो जाये कि किसी सम्पत्ति का मूल्यांकन और कर निर्धारण सम्पत्ति के स्वामी/अध्यासी द्वारा गलत विवरण देने के आधार पर या तथ्यों के छिपाने या भ्रान्त कथन या किसी भूल के कारण किया गया है तो उसमें किये गये सुधार की प्रवृष्टि कर तदनुसार कर निर्धारण सूची संशोधित की जा सकेगी।

(5) भवन में किये गये परिवर्तन और परिवर्धन के फलस्वरूप उसके वार्षिक मूल्यांकन और कर की धनराशि में वृद्धि करके निर्धारण सूची में संशोधन किया जा सकेगा।

4-सूची में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया-

(1) (क) नियम 3 के अधीन निर्धारण सूची में व्यक्ति या सम्पत्ति का विवरण छूट जाने नवनिर्माण या पुनर्निर्माण होने पर स्वामी या अध्यासी निर्धारित प्रपत्र के साथ सम्पत्ति का स्वकर निर्धारण करके सम्पत्ति कर की धनराशि नगर पंचायत निगोही द्वारा यथा निर्दिष्ट बैंक या कार्यालय में जमा कर सकेगा। नगर पंचायत निगोही के अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा स्वकर निर्धारण प्रपत्र के आधार पर अपेक्षित प्रविष्टियाँ निर्धारण सूची में की जायेगी।

(ख) अन्यथा स्थिति में सम्पत्ति का स्वामी या अध्यासी विहित प्रपत्र-1 में अपेक्षित सूचना निर्माण या पुनर्निर्माण के समापन अथवा अध्यासन के दिनांक जो भी पहले हो के 60 दिवसों के भीतर अधिशासी अधिकारी को अनिवार्य रूप से देगा। अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तदुपरान्त कर निर्धारण कर उसे तदनुसार कर निर्धारण सूची में प्रविष्टि करेगा।

(2) (क) सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासन के हस्तान्तरण के फलस्वरूप कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन के निमित्त आवेदक नगर पंचायत निगोही को प्रपत्र 2 में अपना प्रोफाइल बनाकर आवेदन करेगा।

(ख) आवेदक नगर पंचायत निगोही द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क जो रू0 1000.00 प्रति आवेदन है, को आनलाइन भुगतान करेगा और यथाशक्ति निम्नलिखित अभिलेखों को उपलब्ध करायेगा-

क्र० सं०	अभिलेखों का प्रकार	मृत्यु के आधार पर	विक्रय पत्र विभाजन विलेख दान-पत्र व अन्य के आधार पर	पंजीकृत वसीयत के आधार पर
1	2	3	4	5
1.	आवेदक की फोटो (जे0पी0जी0 प्रारूप में)			
2.	आवेदक की पहचान का प्रमाण (जे0पी0जी0 प्रारूप में)			

1	2	3	4	5
3.	आवेदक का शपथ-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
4.	पंजीकृत विक्रय विलेख या दान-पत्र / विभाजन विलेख (पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
5.	उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र (पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
6.	मृत्यु प्रमाण-पत्र (जी०आई०एफ०, पी०एन०जी०जे०पी०जी०जे०पी०ई०जी०पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
7.	रजिस्ट्रीकृत वसीयत जी०आई०एफ०, पी०एन० जी० जे० पी०जी०जे०पी०ई०जी०पी०डी०एफ० प्रारूप में)			
8.	मूल पट्टा विलेख की प्रतिलिपि			
9.	पूर्व में जारी नामान्तरण पत्र की प्रतिलिपि यदि कोई हो			

(ग) आवेदन के कारण प्रोदभूत होने के अधिकतम तीन माह के भीतर प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस अवधि के पश्चात् नगर पंचायत निगोही द्वारा नियत बिलम्ब शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(घ) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नियम 6 के अनुसार प्रभार की धनराशि की गणना करेगा और आवेदन करने की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के अन्दर आवेदक को तत्सम्बन्ध में आनलाइन भुगतान हेतु संसूचित करेगा। इसके साथ ही उस सम्पत्ति पर अवशेष सभी देयों के भुगतान हेतु भी सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा तदनुसार पूर्ण धनराशि आगामी अधिकतम सात दिवसों में भुगतान की जायेगी निर्धारित अवधि में भुगतान प्राप्त हो जाने पर प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के सम्बन्ध में प्रारूप 3 पर इस आशय की कम से कम एक महीने की नोटिस सभी सम्बन्धित हितवद्ध व्यक्तियों को जारी की जायेगी और उसकी एक प्रति आवेदक को भी दी जायेगी।

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन जारी नोटिस की सभी पक्षों को सम्यक् और सन्तोषजनक तामीली न होने की स्थिति में उक्त नोटिस उस नगर पंचायत क्षेत्र में परिचालन वाले कम से कम दो दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराई जायेगी। समाचार-पत्र में नोटिस के प्रकाशन का शुल्क उसके वास्तविक व्यय के अनुसार आवेदक द्वारा भुगतान किया जायेगा। वैकल्पिक रूप में आवेदक उसे नगर पंचायत निगोही द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी व्यय पर नगर पंचायत निगोही क्षेत्र में परिचालन वाले दो दैनिक समाचार-पत्रों में उक्त नोटिस सीधे प्रकाशित करा सकता है।

(च) खण्ड (ङ) के अधीन संसूचित धनराशि का भुगतान नियत अवधि में न किये जाने पर एक अन्य अवसर प्रदान करते हुये पुनः एक सप्ताह का समय दिया जायेगा। इस अवधि में भी प्रभार की धनराशि न जमा करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

(छ) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस अंकित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् कोई उत्तर या आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी द्वारा अभिलेखों के नियम सम्मत पाये जाने पर तदनुसार

आदेश पारित करते हुये निर्धारण सूची में यथा स्थिति संशोधन या परिवर्तन कर दिया जायेगा और सूची प्रमाणीकरण के लिये प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षरों से उसे प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ज) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) के अन्तर्गत जारी नोटिस अवधि के भीतर उत्तर या आपत्ति प्राप्त होने की दशा में अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी संक्षिप्त जाँच और सम्बन्धित पक्षों/आपत्तिकर्ताओं या हितबद्ध व्यक्तियों को सम्यक सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री और गुणदोष के आधार पर उनका निस्तारण करने और समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिशासी अधिकारी को अग्रसारित करेगा। किसी प्रकार के स्वत्वाधिकार से सम्बन्धित विवादित प्रकरण पर सक्षम न्यायालय का निर्णय अपेक्षित होगा।

(झ) निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी प्रभारों सहित अन्य समस्त देयों के भुगतान प्राप्त होने के दिनांक से अधिकतम 45 कार्य दिवसों की अवधि में अविवादित प्रकरणों सम्बन्धी आवेदन का निस्तारण किया जायेगा।

(3) (क) कर निर्धारण सूची में सम्पत्ति के अध्यासन के आधार पर अंकित अध्यासियों के सम्बन्ध में संशोधन और परिवर्तन उक्त अधिनियम, 1916 की धारा-2 के खण्ड (11) के अधीन परिभाषित अध्यासी के पक्ष में किये जा सकेंगे।

(ख) कर निर्धारण सूची एवं तत्सम्बन्धी जारी आदेश में ऐसे संशोधन/परिवर्तन किये जाने पर अध्यासी शब्द का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा जिसे प्रमाणीकृत करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणीकृत किया जायेगा।

(ग) अध्यासन के आधार पर किये गये कर निर्धारण के विषय में बार्डवार कर निर्धारण सूची पृथक से तैयार की जायेगी और उसी संशोधन/परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षित प्रविष्टियाँ की जायेंगी।

(4) निर्धारण सूची के संशोधन अथवा परिवर्तन का प्रयोजन मात्र भवन, भूमि या दोनों के सम्पत्ति कर की वसूली के दृष्टिगत होगा।

5-हस्तान्तरण की नोटिस दिया जाना हस्तान्तरणकर्ता और हस्तान्तरिती की बाध्यता :-

(1) जब किसी सम्पत्ति के सम्पत्ति कर के भुगतान के लिये प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित होता है तो वह व्यक्ति जिसका स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है और वह व्यक्ति जिसे वह हस्तान्तरित किया गया है, हस्तान्तरण विलेख के निष्पादित होने के तीन माह के भीतर ऐसे हस्तान्तरण की सूचना अधिशासी अधिकारी को देंगे।

(2) पूर्वोक्तानुसार प्रथमतः दायी किसी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में वह व्यक्ति जिसे उत्तराधिकार के रूप में या अन्यथा मृतक का स्वत्वाधिकार हस्तान्तरित हुआ है, अधिशासी अधिकारी को मृतक की मृत्यु के छः माह के भीतर हस्तान्तरण की सूचना देगा।

(3) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को उक्त सूचना के माध्यम से ऐसा हस्तान्तरण संज्ञान में आते हैं, इस उपविधि के प्रावधानों के अनुसार अन्तरिती का नाम निर्धारण सूची में प्रविष्ट कर दिया जायेगा।

(4) प्रत्येक व्यक्ति जो अधिशासी अधिकारी को इस प्रकार की सूचना दिये बिना पूर्वोक्तवत् हस्तान्तरण करता है, ऐसी उपेक्षा से उद्भूत अन्य देयता के सहित हस्तान्तरित सम्पत्ति पर निर्धारित कर के भुगतान का दायित्व निरन्तर बना रहेगा जब तक कि वह इस सम्बन्ध में सूचना/आवेदन नहीं देता अथवा जब तक कि ऐसा हस्तान्तरण निर्धारण सूची में अभिलिखित नहीं किया जाता है।

(5) जब ऐसी सूचना आवेदन/नियत अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया हो तो नगर पंचायत निगोही द्वारा नियत विलम्ब शुल्क के साथ इसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(6) यदि कोई भवन गिरा दिया गया हो या ध्वस्त हो गया हो तो जब तक अधिशासी अधिकारी को इसकी नोटिस न दे दी गई हो, तब तक स्वामी/अध्यासी सम्पत्ति कर के भुगतान का दायी होगा जैसा कि वह भवन गिराये जाने या ध्वस्त न किये जाने की स्थिति में दायी था।

6-निर्धारण सूची के संशोधन/परिवर्तन हेतु प्रभारों का लगाया जाना:-

(1) जहाँ कर निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु आवेदन नगर पालिका परिषद को प्रस्तुत किया जाये वहाँ आवेदक से प्रभार इस उपविधि के अनुसार उद्गृहीत किया जायेगा। प्रभारों की दरें निम्नवत् होगी।

(क) किसी विधिक उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत के मामले में प्रभार की दरें निम्नवत् होगी-

क्र०सं०	सम्पत्ति का क्षेत्रफल वर्गफीट में	प्रभार की धनराशि (रूपयें में)
1	1000 तक	500/-
2	1001-2000 तक	1000/-
3	2001-3000 तक	1500/-
4	3000 से अधिक	2500/-

(ख) नियम 3 के उपनियम (3) के अधीन अन्य सभी मामलों में प्रभारों की दर जिलाधिकारी द्वारा नियत सर्किल रेट या पंजीकरण विलेख में अंकित धनराशि जो भी अधिक हो, के आधार पर निम्नवत् होगी-

क्र०सं०	सम्पत्ति का मूल्य	प्रभार की धनराशि (रूपयें में)
1	रु० 5 लाख तक	1000/-
2	रु० 5 लाख से 10 लाख तक	2000/-
3	रु० 10 लाख से 15 लाख तक	3000/-
4	रु० 15 लाख से 50 लाख तक	5000/-
5	रु० 50 लाख से अधिक	10000/-

(2) उपर्युक्त दरों में परिवर्तन अधिनियम, 1916 की धारा-92 के प्राविधानों के अन्तर्गत नगर पंचायत बोर्ड की स्वीकृति/अनुमति से किया जा सकेगा।

(3) उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन एक से अधिक मध्यवर्ती संशोधन और परिवर्तन की स्थिति में प्रत्येक संशोधन और परिवर्तन पर उसमें विनिर्दिष्ट धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार देय होगा।

(4) यदि उपनियम (1) के खण्ड (ख) के मामलों में एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय या अन्य अन्तरण हो और सम्बन्धित सम्पत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं या अन्तरिती के नाम से निर्धारण सूची में अन्तरित न की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख/अन्तरण पर इस उपविधि के अनुसार उपनियम-(1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार उद्गृहीत किया जायेगा।

(5) यदि उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर पंचायत निगोही से सम्बन्धित कोई धनराशि देय हो तो उसका भुगतान निर्धारण सूची के संशोधन और परिवर्तन हेतु देय प्रभारों के साथ किया जायेगा।

7-आदेश का संशोधन या निरस्तीकरण :-

जहाँ अधिशासी अधिकारी स्वतः या अन्यथा ऐसी जाँच जैसा वह उचित समझे से सन्तुष्ट है कि सूची में संशोधन या परिवर्तन छल, सारवान तथ्यों के दुर्व्य पदेश न करके अथवा तथ्यों को छिपा कर अथवा मिथ्या, अशुद्ध और अपूर्ण अभिलेखों के आधार पर किया गया है तो वह सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देते हुये पुनः सुनवाई कर सकता है और लिखित रूप में कारणों को अभिलिखित करते हुये संशोधन या परिवर्तन निरस्त कर सकता है, उसे संशोधित कर सकता है।

8-अपील:-

अधिशासी अधिकारी के किसी आदेश से क्षुब्ध होकर कोई व्यक्ति उस दिनांक जिस दिनांक को उसे विनिश्चय संसूचित किया गया है, से तीस दिन के भीतर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-160 के अधीन अपील कर सकता है।

प्रपत्र—1**(नियम—4(1ख) देखें)****भवन निर्माण/पुनर्निर्माण/परिवर्तन/परिवर्धन सम्बन्धी सूचना-प्रपत्र**

- 1—भवनस्वामी/अध्यासी का नाम —
- 2—भवनसंख्या/आई0डी0 सहित भवन की अवस्थिति—
- 3—भवन का वर्तमान वार्षिक मूल्य —
- 4—सम्पत्ति कर भुगतान की अद्यतन रसीद सं0 —
- 5—पूर्व से निर्मित भवन का आच्छादित क्षेत्रफल —
- 6—नव—निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन अंश का क्षेत्रफल —
- 7—नव—निर्माण, पुनर्निर्माण या परिवर्धन के समापन की तिथि —
- 8—अध्यासन की तिथि —
- 9—अन्य विवरण— यदि कोई हो। —

स्थान—

हस्ताक्षर भवन स्वामी/अध्यासी

दिनांक

पता—

मोबाइल नं0—

प्रपत्र—1**(नियम—4(2) देखें)****निर्धारण सूची में संशोधन/परिवर्तन प्रपत्र**

1. आवेदक का नाम पिता का नाम और पता—
 2. सम्पत्ति का विवरण—
- (1) विक्रय और दान आदि के मामलों में—

- (क) सम्पत्ति संख्या/आई0डी0 और वर्तमान स्वामी का नाम
- (ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छादित क्षेत्रफल
- (ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य
- (घ) अन्तरिती का नाम, पितृ नाम और पता
- (ङ) हस्तान्तरण की प्रकृति—बिक्री/दान

(च) अन्तरण विलेख के निबन्धन की तिथि

(छ) कोई अन्य विवरण

(2) मृत्यु, वसीयत आधारित उत्तराधिकार के मामलों में—

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छदित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) व्यक्ति का नाम (मृत्यु तिथि सहित) पितृ नाम तथा पता

जिसके सापेक्ष उत्तराधिकारी द्वारा दावा किया गया है

(ङ) आवेदक का मृतक से सम्बन्ध

(च) उत्तराधिकारियों का विवरण और अंश

(छ) उत्तराधिकारी का आधार (पैतृक, वसीयत आदि)

(ज) कोई अन्य विवरण

(3) भ्रान्त कथन, भूल या लोप के मामलों में—

(क) सम्पत्ति संख्या और वर्तमान स्वामी का नाम

(ख) भूमि का क्षेत्रफल/भवन का आच्छदित क्षेत्रफल

(ग) वर्तमान वार्षिक मूल्य

(घ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की प्रकृति का विवरण

(ङ) भ्रान्त कथन त्रुटि या लोप की पुष्टि में साक्ष्य

(च) कोई अन्य विवरण

टिप्पणी—उपक्रमांक (1) (2) (3) में से यथा लागू विवरण भरें।

3. आवेदन शुल्क भुगतान का विवरण—

4. अपलोड किये गये अभिलेखों का विवरण—

1	2	3	4

(ह0) अस्पष्ट,
अधिशाली अधिकारी,
नगर पंचायत निगोही,
शाहजहाँपुर।

कार्यालय, नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद-देवरिया

23 मार्च, 2026 ई०

सं० 851/न०प०मझौलीराज/2025-26—जनपद-देवरिया द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298(2) के शीर्षक (ए)(बी)(सी) तथा जे०डी० एवं धारा-212क के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने सीमान्तगत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम-2021 के अनुपालन में विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली-2025 बनायी गयी है। उपरोक्त नियमावली की धारा-301 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली-2016 व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम-2021 प्रकाशन के पश्चात आपत्तिया एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित किया गया है। उक्त नियमावली के सम्बन्ध में उसके बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो कार्यालय नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद-देवरिया को लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकता है। तत्क्रम में नगर पंचायत मझौलीराज द्वारा बोर्ड बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2025 को प्रस्ताव संख्या-03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को सर्वसम्मति से स्वीकृति किया गया। तत्क्रम में “दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं स्वतंत्र भारत” में दिनांक 22 जनवरी, 2025 को प्रकाशित कराकर 21 दिवस के अन्दर आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किया गया। निर्धारित समयावधि 21 दिन के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। बोर्ड बैठक दिनांक 03 नवम्बर, 2025 को प्रस्ताव संख्या-03 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि प्रभावी माना जायेगा—

उपविधि**संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—**

(1) यह उपविधि “विविधकर (शुल्क)” उपविधि नियमावली, 2025 कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद-देवरिया की सीमा में लागू होगी।

(3) यह उपविधि उत्तर प्रदेश, राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद-देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषाये—

(1) “अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद-देवरिया के अध्यक्ष से है।

(2) “अधिशाली अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद-देवरिया के अधिशाली अधिकारी से है।

(3) “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद-देवरिया से है।

1— ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु० 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु० 1,000.00 प्रति प्रकरण।

(2) किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु० 500.00 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु० 1,000.00 प्रति पशु।

(3) किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अण्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु० 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

(4) नगर पंचायत सीमान्तगत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेकना प्रतिबंधित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

नियमावली, 2016 तथा वाटर पलूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2,000.00 रु0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

(5) किसी व्यक्ति के शादी-विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 2,000.00 प्रति प्रकरण।

(6) सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग बाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के गये हुए अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या-3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा 15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सु:संगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पच्चास हजार रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सु:संगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

(7) नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होन व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंग बाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से सामान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क, तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड, पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रति अद्द प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(9) गेस्ट-हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंग होम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1,000.00 रु0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जाएगा।

(10) नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वालपेंटिंग/वालराइटिंग आदि करना प्रतिबंधित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 1,000 रु0 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

(12) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में— सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

(13) डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान/दुकान की दर से लिया जाएगा।

(14) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा आपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलो ग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्ग मीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(15) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्राविधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्क वेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत हैं—

1 परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।

2 गीले कूड़े का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्ट पिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।

3 सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।

4 परिसर से निकलने वाले फूल पत्ती (Horticulture and garden waste) जैसे-अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।

5 परिसर में निकलने वाले मलवों, मिट्टी (Construction & demolition waste) का निस्तारण (Construction & demolition waste management Rules, 2016) के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवो, मिट्टी फेकना प्रतिबंधित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

(16) बल्क वेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (N.G.T.) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थ-दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2- फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबंधन—

(1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैनुअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम, 2013 के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबंधित है।

(2) नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजर चार्ज शुल्क रु0 5.00 लिया जायेगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रु0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रु0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

(4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50,000/- रु0 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त प्राइवेट डी0-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी-स्लजिंग आपरेटरों स्वयं की होगी।

(6) कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाईसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओ0एस0एस0 (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों, जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थ-दण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा/होगी एवं उनके खिलाफ सु:संगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर-14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी,) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भू-स्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थ-दण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सु:संगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाईसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0 1,500/- रु0 अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

(10) सेप्टिक टैंक/ओ0एस0एस0 का डिजाईन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑन सीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओ0एस0एस0 से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउट-लेट न हों।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्च स्तरीय नागरिक हितैसी सेवाएं रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधाएं नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंच मार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपर वाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंच मार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंच मार्क निम्नवत है—

क्र० सं०	सेवा का प्रकार	मानक लक्ष्य	अर्थ-दण्ड की स्थिति
1	2	3	4
			रुपये—
1.	केयर टेकर का नाम, मो० नं०, टोयलेट आई०डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होन का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रण्ट दीवाल पर अंकित	200
2.	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3.	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल०ई०डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/एग्जॉस्ट फैन द्वारा	500
4.	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500

1	2	3	4
			रुपये—
5.	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100
6.	शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लैटफार्म में उपलब्धता एवं फीड बैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1000
7.	दिव्यांग हितैशी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5000
8.	सीट, बेसिन फर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्ड ड्रायर, सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9.	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रेशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाई कर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे—ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10.	सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेण्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टल डस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11.	शौचालय के फ्रण्ट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12.	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाएं।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टिशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्था जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉस बेसिन उपलब्ध।	200

3— निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन—

(1) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों को नॉन बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामी/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय, नगर पंचायत से सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे0सी0बी0 निर्धारित शुल्क मु0 2,000 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रति ट्रीप 1500 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्को में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामी को चिन्हित करते हुए जुर्माना धनराशि मु0 2,000 रुपये वसूल किया जाएगा।

4- प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन-

(1) भारत सरकार का राजपत्र सं0-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 तथा भारत का राजपत्र सं0-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्मोकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबंध लागू है।

(2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरी बैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

(3) 1 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबंधित किया गया है-

(क) पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर वड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैड़ी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री आदि।

(ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे-कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100/120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी0बी0सी0 बैनर, रिट्रर का भी 1 जुलाई 2022 से प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है-

क्र0	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरी बैगों,	जुर्माना धनराशि
सं0	प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	
1	2	3
		रुपये-
(क) 1	100 ग्राम तक	1000
(क) 2	101 ग्राम - 500 ग्राम	2000
(क) 3	501 ग्राम - 01 किलोग्राम	5000
(क) 4	01 किलोग्राम - 05 किलोग्राम	10,000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25,000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठानदुकानों/ढाबों/औद्योगिक/प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्को, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाने पर।	25,000
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्ही निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों,	1000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद-देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत मझौलीराज, जनपद-देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

‘यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि “विविधकर” (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर” (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
अध्यक्ष
नगर पंचायत मझौलीराज,
जनपद-देवरिया।

कार्यालय, नगर पंचायत, अनपरा, सोनभद्र

10 नवम्बर, 2025 ई०

सं० 560(2)/न०प०अ०/यू०चा० नियमावली/अधि०/2025-26—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र अपनी बैठक दिनांक 27 दिसम्बर 2024 के द्वारा धारा-298 के तहत नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा में “विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 बनायी है। उपरोक्त नियमावली के धारा 301 के अन्तर्गत समस्त निवासियों को सूचना एवं आपत्ति/सुझाव के दृष्टि पत्र संख्या 894/न०प०अ०/यू०चा० नियमावली/अधि०/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं यूनाईटेड भारत में 15 दिवस के लिये प्रकाशन कराया गया था, निर्धारित तिथि तक नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त निम्नानुसार प्रस्तावित “विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024” बनायी है, जो उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

“विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024”

शासनादेश सं० 2399/नौ-9-94-204 (जनरल)/90 दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 के अनुपालन में उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 जो नगर पंचायत पर प्रवृत्त है, के अन्तर्गत नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार हैं—

1— संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ—

- (1) यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।
- (2) यह नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र की सीमा में प्रवृत्त होगी।
- (3) यह उपविधि उ०प्र० राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र में प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषाएँ— उपरोक्त नियमावली में विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द का अर्थ यह पढ़ा व समझा जायें—

- (1) “अध्यक्ष/प्रशासक” का तात्पर्य “नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- (2) “अधिकासी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के अधिकासी अधिकारी से है।

- (3) "प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के प्रभारी अधिकारी से है।
- (4) "लाइसेंसिंग अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा के लाइसेंसिंग अधिकारी से है।
- (5) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

3- उपनियम-

(1) इस उपनियम के अन्तर्गत कोई भी दुकानदार व अन्य व्यवसायी लाइसेंस प्राप्त किये बिना अपनी दुकान/व्यवसाय नहीं चला सकेगा एवं इस उपनियम के लागू होने के पूर्व चल रहे समस्त दुकान/व्यवसाय का लाइसेन्स दुकानदार/व्यवसायी को प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(2) इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स की अवधि 01 वर्ष की होगी जो 01 अप्रैल से लागू हो 31 मार्च को समाप्त होगी।

(3) प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क की धनराशि को अदा करके लाइसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(4) दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए अपेक्षित धनराशि कार्यालय, नगर पंचायत अनपरा में जमा कर अथवा पंचायत कार्यालय द्वारा अधिकृत कर्मचारी को जमा करके रसीद प्राप्त कर सकता है।

(5) दुकानदार/व्यवसायी को सरकार द्वारा प्राप्त वॉटो को मापों में प्रयोग करना अनिवार्य होगा।

(6) इस उपनियम के अन्तर्गत प्राप्त लाइसेन्स केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य किसी विधिक संस्था द्वारा तालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाइसेन्स से भिन्न होगा।

(7) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी छुआ-छूत की बीमारी से ग्रस्त है, वह उल्लिखित तालिका में वर्णित व्यवसाय नहीं करेगा एवं ऐसे व्यक्ति को उल्लिखित व्यवसायों में सहायक अथवा नौकर भी रखने का अधिकार नहीं होगा।

(8) नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी/अधिशाली अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी लाइसेन्स दिखाने के लिए बाध्य होंगे तथा प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश के लिए अधिकृत होंगे।

(9) अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशाली अधिकारी, नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के द्वारा लाइसेन्स निर्गत किया जायेगा।

(10) जो शुल्क इस उपनियमावली की तालिका में नहीं है उसे सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

(11) वाहन के लाइसेन्स न बनाने अथवा चेकिंग में पकड़े जाने पर वाहन जमा कराकर इसे अधिकृत कर्मचारी रसीद दे देंगे तथा वाहन बन्द किये जा सकते हैं तत्पश्चात् 15 दिन में लाइसेन्स न बनवाने पर लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी कराया जा सकती है।

(12) उपनियमों में संशोधन पंचायत बोर्ड किसी भी समय कर सकता है, एवं शर्तों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश आवश्यकतानुसार किसी भी समय निर्गत किये जा सकते हैं।

(13) वित्तीय वर्ष के माह जून तक प्रत्येक दुकानदार/व्यवसायी को लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा अन्यथा उनसे प्रतिमाह रु0 100.00 विलम्ब शुल्क के रूप में वसूल किया जायेगा।

(14) दुकानदार/व्यवसायी द्वारा लाइसेन्स शुल्क वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्दर जमा नहीं करने पर इसकी वसूली भू-राजस्व की भौति करायी जायेगी।

(15) नगर पंचायत बोर्ड/शासनादेश के निर्णयानुसार लागू लाइसेन्स शुल्क में आवश्यक वृद्धि की जा सकती है।

(16) दुकानदार/व्यवसायी अपना व्यवसाय/दुकान चाहे अपने निजी मकान/दुकान/खुली जमीन अथवा किराये के मकान/दुकान/खुली जमीन पर करता है, उसे अपने दुकान/व्यवसाय के अनुरूप लाइसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा।

(17) सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी लाइसेन्स को किसी भी समय निरस्त कर सकता है अथवा उचित नहीं होने पर लाइसेन्स देने से इन्कार करने का अधिकार होगा।

(18) व्यवसायिक लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अन्य आवंटन विभागों से एनओसी0 इत्यादि प्राप्त करने की समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

4— लाइसेन्स शुल्क— शासनादेश सं० 541/नौ-9-99-23ज/97टी0सी0 दिनांक 15 फरवरी, 1999 समहित सं० 1241/नौ-9-98-23ज/97 दिनांक 10 जून, 1998 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लाइसेन्स शुल्क (35मद) अनुसूची दरें वसूली प्रभावी रहेगा।

वार्षिक दरें—

क्रम सं०	दुकान/व्यवसाय का नाम	लाइसेन्स हेतु निर्धारित दरें प्रति वर्ष
1	2	3
		रुपये—
01	पाँच सितारा होटल	12,000.00
02	तीन सितारा होटल	9,000.00
03	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस (10 शैया तक)	900.00
04	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
05	प्राइवेट नर्सिंग होम (20 बेड तक)	3,000.00
06	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
07	प्राइवेट प्रसूति गृह (20 बेड तक)	3,000.00
08	प्राइवेट अस्पताल (बिना ऑपरेशन)	2,000.00
09	प्राइवेट अस्पताल (ऑपरेशन युक्त)	5,000.00
10	एक्स-रे क्लीनिक	2,000.00
11	पैथालॉजी सेन्टर	2,000.00
12	प्राइवेट क्लीनिक	1,000.00
13	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 07 सीटर तक	500.00
14	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 04 सीटर तक	250.00
15	ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा 02 सीटर तक	150.00
16	बस	1,500.00
17	मिनी बस	1,000.00
18	टैम्पों/जीप/टैक्सी आदि	500.00

1	2	3
		रुपये—
19	तॉगा	30.00
20	रिक्शा किराये पर चालित	100.00
21	रिक्शा निजी चालित	50.00
22	रिक्शा चालक शुल्क	20.00
23	ढेला	75.00
24	हाथ ढेला	20.00
25	ट्रॉली मशीन चालित	500.00
26	अन्य चार पहिया व्यापारिक वाहन	750.00
27	धुलाई गृह लॉण्ड्री	500.00
28	ड्राई क्लीनर लॉण्ड्री	1,000.00
29	फाइनेन्स कम्पनी	10,000.00
30	इश्योरेंस कम्पनी	15,000.00
31	फाउण्डिंग इण्डस्ट्रीज	500.00
32	पशु स्लाटर हाउस (प्रति पशु)	50.00
33	हड्डी/खाल/बाल गोदाम	1,000.00
34	पशु पालन (प्रति पशु)	10.00
35	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00
	(क) प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर	100.00
	(ख) प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर	50.00

5— जलमूल्य वसूली—

(1) उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश सं० 1010-19-2-96(2)-96 दिनांक 08 जनवरी, 1997 के द्वारा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत की निम्नवत् दरें प्रस्तावित हैं—

क्रमांक	घरेलू दरें (प्रतिमाह) वर्तमान (रु प्रतिमाह) वर्तमान
1	2
1	व्यवसायिक दरें (रु प्रतिमाह) वर्तमान रु० 100.00

नोट— भविष्य में पानी की मीटर लगने पर मीटर के अनुसार मूल्य वसूली होगी— 1 पैसा प्रति लीटर (10 रु० प्रति एक हजार लीटर)

(2) नगर पंचायत अनपरा के अन्तर्गत ऐसे भवन स्वामियों के घरेलू समरसेबिल पानी का उपयोग करते हैं का वार्षिक शुल्क रु० 1,000.00 देय होगा।

(3) ऐसे भवन स्वामी जो व्यावसायिक समरेविल का प्रयोग करते हैं वार्षिक मूल्य रु0 2,000.00 देय होगा।

(4) वसूली अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

(5) नगर पंचायत अनपरा में वार्षिक वितरण कराकर वसूली करायेगी।

(6) नगर पंचायत अनपरा में अभिलेखों को प्रत्येक वित्तीय वर्षवार अनुरक्षित रखेगी, जिसमें डिमाण्ड रजिस्टर को तैयार करना तथा निर्धारित समय से बिल तैयार कर वितरित करना।

6— शो टैक्स— नगर पंचायत अनपरा सीमान्तर्गत मनोरंजन के माध्यम से फिल्म प्रदर्शित किया जाता है तो ऐसे स्वामियों से रु0 50.00 प्रति शो की दर से वसूला जायेगा।

7— विज्ञापन शुल्क— सचिव उत्तर प्रदेश नगर विकास अनुभाग-9 शासनादेश सं0-618/नौ-9-2012-277ज/2011 दिनांक 05 अप्रैल 2012 के द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बन्ध में दिशा निर्देश—

(1) विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायेंगे जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद निर्वाद गमनागन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हो।

(2) विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये ताकि कोई दुर्घटना न होने पायें।

(3) विज्ञापन को वृक्षों बल्लियों बाँस या लकड़ियों से बांधा नहीं जायेगा। उस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापन से आस-पास के कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी भी प्रकार से विरूपित न हो।

(4) विज्ञापन कर रु0 6.00 प्रति वर्गफुट प्रतिमाह देय है।

(5) कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित और निकाय के प्रतिकूल नहीं होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशुद्ध, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रवृत्ति के नहीं होने चाहिए।

8— ट्रांसफार्मर सबस्टेशन पर शुल्क—

(1) पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रांसफार्मर 125 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 10,000 एवं 2,500 के0वी0ए0 क्षमता तक शुल्क रु0 20,000 वार्षिक प्रति ट्रांसफार्मर 400 के0वी0ए0 की क्षमता के लिए— रु0 30,000 वार्षिक।

(2) पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क 50,000.00 वार्षिक।

9— नगर पंचायत दुकान एवं बारातघर पर किराया शुल्क—

(1) नगर पंचायत दुकान एवं सम्पत्तियों को भली-भाँति रख-रखाव करने हेतु प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत किराये में वृद्धि करेंगी, आवंटन 30 वर्ष के लिए होगा, 30 वर्ष पश्चात् पुनः नीलामी करायी जायेगी।

(2) ऐसे किरायेदारों द्वारा अनुबन्ध पत्र उल्लंघन करने पर नगर पंचायत द्वारा बेदखल नोटिस जारी कर पुनः नीलामी की कार्यवाही कर दी जायेगी।

(3) दुकान का किराया रु0 2,000/प्रतिमाह—

(4) नगर पंचायत अनपरा द्वारा स्थित बारातघर का किराया रु0 7,000.00 प्रतिदिन तथा कार्यक्रम के उपरान्त बारातघर की सफाई एवं जनित कूड़े का निस्तारण शुल्क अलग से देय होगा।

10— अनापत्ति प्रमाण-पत्र शुल्क प्रति वर्ष—

(1) मछली फुटकर बिक्री रु0 500.00

(2) मछली थोक बिक्री रु0 1,000.00

(3) फल फुटकर बिक्री रु0 500.00

(4) फल थोक बिक्री	रु0 2,000.00
(5) सब्जी फुटकर बिक्री	रु0 500.00
(6) सब्जी थोक बिक्री	रु0 2,000.00
(7) अण्डा फुटकर बिक्री	रु0 500.00
(8) अण्डा फुटकर बिक्री	रु0 1,000.00
(9) अण्डा थोक बिक्री	रु0 2,000.00
(10) मुर्गा फुटकर बिक्री	रु0 1,000.00
(11) मुर्गा थोक बिक्री	रु0 2,000.00
(12) बकरा, भैंस-भैसा बिक्री	रु0 10,000.00

11— विविधकर (शुल्क) की दरें—

- (1) प्रमाण-पत्र शुल्क रु0 100.00 (सौ रु0 मात्र) प्रति प्रमाण-पत्र।
- (2) पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा में वैवाहिक कार्य/सामाजिक कार्य हेतु) रु0 500.00 पांच सौ मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा में निर्माण कार्य हेतु रु0 800.00 आठ सौ मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।
- (3) पानी टैंकर का किराया (नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में वैवाहिक कार्य सामाजिक कार्य हेतु) रु0 1,500.00 एक हजार पांच सौ मात्र प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में निर्माण हेतु रु0 2,500.00 दो हजार पांच सौ मात्र प्रति टैंकर प्रतिदिन।
- (4) सीवरेज टैंकर उपयोग शुल्क (नगर पंचायत सीमान्तर्गत) रु0 3,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर एवं नगर पंचायत सीमा के बाहर 20 कि0मी0 अधिकतम में शुल्क रु0 5,000.00 प्रति चक्कर/प्रति टैंकर।
- (5) पंचायत सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार मात्र) वार्षिक।
- (6) पंचायत सीमा में स्थित कोचिंग संस्थानों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000 (एक हजार मात्र) वार्षिक।
- (7) पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह पर व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00
- (8) पंचायत सीमा में व्यवसाय करने वाले रेस्टोरेन्ट/ढाबा पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पाँच हजार मात्र) वार्षिक।
- (9) पंचायत सीमा में स्थित आटा चक्की/पालेशर मशीन/तेल पिराई मशीन/रूई धुनाई मशीन पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1000.00 (रु0 एक हजार) वार्षिक।
- (10) गाय/भैंस/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवरों को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण/प्रति दिन।
- (11) पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के मूत्रालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क रु0 2.00 एवं शौचालय प्रयोक्ता प्रति व्यक्ति से शुल्क 10.00 लिया जायेगा।
- (12) पंचायत सीमा में स्थित नाली/नाला/सड़क/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 प्रति प्रकरण।
- (13) पंचायत सीमा में स्थित व व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों (200 वर्ग फीट क्षेत्रफल या उससे कम कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु0 500.00 वार्षिक तथा बड़े दुकानदारों (200 वर्ग फीट क्षेत्रफल या उससे अधिक कवर्ड एरिया) से व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 वार्षिक।

(14) छोटी बाउण्ड्री युक्त भू-खण्ड या मकानों के मध्य खाली भू-खण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेकने को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भू-खण्डों एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न कराने पर पेनाल्टी शुल्क प्रति प्रकरण रु० 2,500.00 (रु० दो हजार पांच सौ) मात्र।

(15) नगर पंचायत सीमा में स्थित राइस, गन्ना मिल पर व्यावसायिक शुल्क रु० 5,000.00 वार्षिक।

(16) नगर पंचायत सीमा में संचालित आरा मशीन, आइस फैक्ट्री पर व्यावसायिक शुल्क रु० 2000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(17) नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी, प्रेशर मशीन (गाड़ी धुलाई केन्द्र) पर व्यावसायिक शुल्क रु० 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(18) नगर पंचायत सीमा में स्थित आर०ओ० प्लांट/निजी जलापूर्ति प्रणाली पर व्यावसायिक शुल्क रु० 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(19) नगर पंचायत सीमा में स्थित मोटर साइकिल एजेन्सी, ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क रु० 3,000.00 (तीन हजार) वार्षिक।

(20) नगर पंचायत जे०सी०बी० किराया रु० 1,200.00 (एक हजार दो सौ) रु० प्रति घण्टा नगर पंचायत सीमान्तर्गत तथा आने जाने का समय सहित।

(21) मोबाइल टायलेट किराया रु० 1,000.00 प्रति दिन/प्रति बुकिंग।

(22) नगर पंचायत सीमान्तर्गत संचालित ईट-भट्ठों पर लाइसेंस शुल्क रु० 10,000 (रु० दस हजार) वार्षिक।

(23) नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आढ़त व्यावसायिक शुल्क रु० 2,000.00 (दो हजार) वार्षिक।

(24) नगर पंचायत सीमा में स्थित समस्त बैंको पर व्यावसायिक शुल्क रु० 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक प्रति शाखा।

(25) नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन के उद्देश्य से रोड़ कटिंग चार्ज रु० 2,000.00 (दो हजार) रुपया प्रति कनेक्शन।

(26) नगर पंचायत सीमा में जल कनेक्शन हेतु जमानत धनराशि रु० 500.00 (पाँच सौ) रुपया प्रति कनेक्शन।

(27) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त विकास कार्य सम्बन्धी ठेकेदार पंजीकरण शुल्क रु० 15,000.00 (रु० पन्द्रह हजार) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक तदोपरान्त 1,000.00 (एक हजार) मासिक विलम्ब शुल्क के साथ।

(28) ठेकेदार नवीनीकरण शुल्क रु० 5,000.00 (रु० पांच हजार) मात्र वार्षिक, वित्तीय वर्ष के प्रथम मास तक सिव्योरिटी हेतु एफ०डी०आर० रु० 25,000.00 के साथ।

(29) शटरिंग/तख्ता बल्ली को किराये पर उठाने के व्यवसाय पर रु० 2,000.00 वार्षिक (रु० दो हजार) मात्र।

(30) देशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु० 5,000.00 (रु० पांच हजार) वार्षिक।

(31) विदेशी शराब व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु० 10,000.00 (रु० दस हजार) वार्षिक।

(32) बार/बियर दुकान पर व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु० 10,000.00 (रु० दस हजार) वार्षिक।

(33) माडल शाप व्यावसायिक शुल्क प्रति दुकान रु० 15,000.00 (रु० पन्द्रह हजार) वार्षिक।

(34) समस्त प्रकार की भवन निर्माण सामग्री सीमेंट/सरिया/मौरंग इत्यादि विक्रेता व्यावसायिक शुल्क रु० 5,000.00 (पांच हजार) वार्षिक।

(35) मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के क्रम में एनजीटी ऐक्ट 2010 की धारा 15/16 के अन्तर्गत नगर क्षेत्र में खुले में कूड़ा जलाने पर अर्थदण्ड प्रति प्रकरण रु0 5,000.00 (पांच हजार) मात्र एवं सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री एकत्रित करने/मलबा रखे जाने पर रु0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र अर्थदण्ड।

दण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299(1) के अधीन अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उपरोक्त नियमों के किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा या करने में प्रोत्साहित करेगा उस व्यक्ति पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा जो इस उपनियम में दिये गये निर्धारित शुल्क के दो गुना से दस गुना तक हो सकता है। यदि अपराध निरन्तर जारी रहेगा तो अतिरिक्त दण्ड लगाया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से या प्रमाणित हो जाने पर की अपराधी ने निरन्तर अपराध जारी रखा है तो रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है एवं जुमाना के साथ-साथ तीन मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट

अध्यक्ष,

नगर पंचायत, अनपरा,

सोनभद्र।

कार्यालय, नगर पंचायत, अनपरा, सोनभद्र

10 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 560(3)/न0पं0अ0/2025-26—नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा 298 के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उक्त धारा के साथ पठित धारा-128 की उपधारा (1) के खण्ड 13(बी) अर्थात् 128(1)(13बी) 128ए, धारा-131 की उपधारा (1)(2) की उपधारा (छः) के अन्तर्गत नगर पंचायत अनपरा ने अपनी सीमान्तगत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर दाखिल खारिज/नामांतरण/नियंत्रण उपविधि/उपनियम बनायी थी, नगर पंचायत अनपरा द्वारा उपविधि के प्रारूप या उसके किसी भाग पर उक्त ऐक्ट की धारा-301 की उपधारा (1) के अधीन समस्त निवासियों को सूचना एवं आपत्ति/सुझाव के दृष्टि पत्र संख्या 890/न0पं0अ0/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र **हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं यूनाईटेड भारत** में 15 दिवस के लिये प्रकाशन कराया गया था। निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त सुझाव व आपत्तियों के निस्तारण उपरान्त नगर पंचायत अनपरा निम्नानुसार अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण उपरान्त दाखिल खारिज/नामांतरण उपविधि 2024 बनाती है, जो उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

नियमावली

1— संक्षिप्त नाम तथा परिभाषा—

(क) यह नियमावली नगर पंचायत अनपरा, सोनभद्र की सीमान्तगत स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण उपरान्त दाखिल खारिज/नामांतरण उपविधि 2024 कहलायेगी।

(ख) नगर पंचायत अनपरा की सीमा के अन्दर उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

(ग) यह नगर पंचायत अनपरा की सीमा अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण उपरान्त दाखिल खारिज/नामांतरण के सभी लेखों पर प्रभावी होगी।

2— परिभाषाएँ— विषय अथवा में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में—

(क) “अधिनियम” का तात्पर्य सं0 प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-128(2) की उपधारा (छः) एवं धारा-298 से है।

(ख) “नगर पंचायत” का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा से है।

(ग) "शुल्क" का तात्पर्य इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) के अधीन अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी लेख पर लगाये गये शुल्क से है।

(घ) "इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित इण्डियन स्टाम्प ऐक्ट, 1899 (ऐक्ट संख्या 2, 1899) से है।

(च) "नगर पंचायत" की सीमा का तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित नगर पंचायत अनपरा की सीमायें या भविष्य में बढ़ने या घटने से निर्धारित हो कर प्रभावित होने वाली सीमा से है।

(छ) "अधिशाली अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा के अधिशाली अधिकारी से है।

(ज) "कर" का तात्पर्य सं० प्रा० नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-127 ए (1) के (13बी), धारा 128(2) की उपधारा (छः) के अर्न्तगत लगाये गये कर से है।

(झ) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा के अध्यक्ष/प्रशासक से है

3- नगर पंचायत की सीमा के अन्दर अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के किसी भी लेख पर इण्डियन स्टाम्प द्वारा लगाया गया शुल्क सम्पत्ति के मूल्य पर अथवा बन्धक की दशा में दस्तावेज द्वारा प्रतिभूति धनराशि अधिनियम में की गयी व्यवस्था के अनुसार लिया जायेगा।

4- नगरपालिका अधिनियम, 1916 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत दाखिल खारिज/नामान्तरण की कार्यवाही निम्नलिखित आधारों पर की जायेगी-

अ- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर,

ब- मृत्यु के आधार पर,

स- रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर,

द- मा० न्यायालय के आदेश के आधार पर,

य- आपसी समझौते/रजि०दान पत्र/अन्य आधार पर,

र- अन्य हस्तान्तरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर।

नामान्तरण की कार्यवाही आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर	नामान्तरण की कार्यवाही पर आवेदक पर निर्धारित शुल्क जमा कराने की अपेक्षा की जायेगी।
अ- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण हेतु 1. रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र की छायाप्रति। 2. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित क्रेता व विक्रेता की ओर से।	1. शून्य से 50 हजार तक की मालियत पर- शून्य 2. 51 हजार से 1.50 लाख तक- 500.00 3. 1.51 लाख से 5.00 लाख तक- 1,000.00 4. 5.00 लाख से उपर 10.00 लाख तक- 5,000.00 5. 10.00 लाख से ऊपर- 10,000.00 नोट- रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर नामान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के निष्पादन की तिथि से 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

ब- मृत्यु के आधार पर नामांतरण हेतु 1. मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति 2. तहसीलदार द्वारा जारी वारिसान प्रमाण-पत्र की छायाप्रति 3. वारिसान प्रमाण-पत्र में अंकित न होने हों उनकी ओर से नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित 4. आवेदक की ओर से नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित	मृत्यु के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में 200.00 मात्र शुल्क नियत किया गया। नोट- मृत्यु की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
स- रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु। 1. रजिस्टर्ड वसीयतनामा की छायाप्रति। 2. मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति। 3. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित	रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में 1,000.00 मात्र शुल्क नियत किया गया। नोट- वसीयतकर्ता की मृत्यु की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
द-मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर नामांतरण हेतु 1. मा0 न्यायालय के आदेश की प्रति। दावा, वाद पत्र, डिक्री सहित। 2. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित	मा0 न्यायालय के आदेश पर नामांतरण के सम्बन्ध में इस उपविधि की धारा 4 की उप धारा आ,ब,स में विहित व्यवस्था के अनुसार शुल्क नियत किया जायेगा। नोट- मा0 न्यायालय के आदेश की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
य- आपसी समझौते/रजि0 दान पत्र/ अन्य आधार पर नामांतरण हेतु 1. आपसी समझौते/अन्य आधार पर नामांतरण हेतु दस्तावेज नोट- इस आधार पर नामांतरण हेतु मा0 सदन (नगर पंचायत अनपरा बोर्ड) से स्वीकृति लेना आवश्यक है। 2. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित 3. दान पत्र की स्थिति में रजिस्टर्ड दान पत्र व नोटरी शपथ-पत्र	आपसी समझौता/रजिस्टर्ड दान पत्र/अन्य आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में 2,000.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया। नोट- दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
र. अन्य हस्तान्तरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण हेतु- 1. अन्य अपंजीकृत हस्तान्तरणीय विलेख की छायाप्रति। 2. नोटरी शपथ-पत्र फोटो सहित। 3. पंजीकृत बैनामे के अतिरिक्त अन्य किसी हस्तान्तरण के आधार पर नामांतरण की वांछा रखने वाले आवेदक प्रस्तावित भवन/प्लॉट की कुल मालियत का दो प्रतिशत प्रभार देय होगा।	अन्य हस्तान्तरणीय अपंजीकृत विलेख के आधार पर नामांतरण के सम्बन्ध में 5,000.00 मात्र का शुल्क नियत किया गया। नोट- दस्तावेज के निष्पादन की तिथि से तीन माह के अन्दर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर कोई विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा। तीन माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर मृत्यु की तिथि से 25.00 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

5— समस्त प्रकार के नामांतरण के सम्बन्ध में शुल्क जमा उपरान्त 2 दैनिक समाचार पत्रों जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले किसी एक दैनिक समाचार-पत्र एवं स्थानीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले किसी एक दैनिक समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जायेगा। समाचार-पत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में नामांतरण की कार्यवाही कर निर्धारण सूची में अधिशासी अधिकारी से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संशोधित किया जायेगा तथा आदेश अंकित किया जायेगा।

6— निर्धारित अवधि के भीतर अचल सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के पश्चात दाखिल खारिज/नामांतरण से सम्बन्धित किसी मामले में कोई आपत्ति प्राप्त होने की दशा में आपत्तिकर्ता से 500.00 मात्र शुल्क जमा कराया जायेगा, तदोपरान्त अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष द्वारा प्रकरण में सुनवाई करते हुये अंतिम आदेश पारित किया जायेगा।

7— दाखिल खारिज/नामांतरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर किया जायेगा नामांतरण सम्बन्धी कोई भी साक्ष्य/पत्रावली किसी भी दशा में सम्पत्ति का अधिकार प्रदान नहीं करेंगे। सम्पत्ति से सम्बन्धी विवाद होने पर विवाद का निपटारा राजस्व संहिता में विहित प्रक्रिया/मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के अधीन होगा।

यदि इस उपविधि के किसी भाग का उल्लंघन किया जाता है तो उल्लंघनकर्ता दण्ड का भागी होगा।

दण्ड

नगर पंचायत अनपरा, सोनभद्र संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा-298(1), 299, 306, 307 एवं धारा-310 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुये यह आदेश देता है कि इस उपविधि में किसी भाग का उल्लंघन किये जाने की दशा में जुर्माना से दण्डनीय होगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है और तब ऐसा उल्लंघन निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा जो प्रति दोष सिद्ध के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो रु0 25.00 तक हो सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,

अध्यक्ष,

नगर पंचायत, अनपरा,

सोनभद्र।

कार्यालय नगर पंचायत, अनपरा, सोनभद्र

10 नवम्बर, 2025 ई0

सं0 560(4)/न0प0अ0/2024-25—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र द्वारा नगर पंचायत सीमा अन्तर्गत अधिनियम की धारा-298 (1) (2) सूची (1) खण्ड "ज" के भाग "ख" के तहत 'वाहन पार्किंग एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2024' बनायी है, उपरोक्त अधिनियम के धारा-301 के अन्तर्गत समस्त निवासियों को सूचना एवं आपत्ति/सुझाव के दृष्टि पत्र संख्या 893/न0प0अ0/2024-25 दिनांक 29 मार्च, 2025 द्वारा दैनिक हिन्दी समाचार-पत्र हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं यूनाईटेड भारत में 15 दिवस के लिये प्रकाशन कराया गया था, निर्धारित तिथि तक नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त निम्नानुसार प्रस्तावित 'वाहन पार्किंग एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2024' बनायी है, जो उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2024

1— शीर्षक— यह उपविधि न0प0 अनपरा सोनभद्र वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क उपनियमावली, 2024 कहलायेगी।

2— प्रकृति— यह उपविधि उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3— परिभाषाएँ— विषय का प्रयोग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों से है।

- (क) "नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र से है।
- (ख) "नगर पंचायत की सीमाओं" से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।
- (ग) "अधिकासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के अधिकासी अधिकारी से है।
- (घ) "अध्यक्ष" से तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
- (ङ) "अधिनियम से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।
- (च) "वाहनों" से तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र की सीमा से गुजरने वाले भार से लदे/सवारी ढोने वाले वाहनों से है।
- (छ) "कर्मचारी" का तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के कर्मचारी से है।
- (ज) "नाका बैरियर" से तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के नाका बैरियर से है।
- (झ) "सड़क/पटरियों" से तात्पर्य नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र की सीमा से गुजरने वाले भार से मार्गों प्रान्तीय, गैर प्रान्तीय एवं नगर की सड़क पटरियों से है।

4- शुल्क का विवरण अधिरोपण एवं संग्रह- नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते वाहनों ट्रक/ट्रैक्टर मय ट्राली, डी0सी0एम0 टयोटा जो व्यवहारिक दृष्टि से चलते हैं, मोटर लारी रोड़वेज, स्टोर वाहन, टाटा सूमो, मार्शल, टैक्सी, मेटाडोर, जीप, भारी वाहन, बस/अन्य डीजल/गैस/इलेक्ट्रॉनिक/बैट्री से चलने वाले वाहनों जो व्यापारिक समान उतारने चढ़ाने एवं सवारियां उतारने-चढ़ाने एवं ठहरने वाले वाहनों को नियन्त्रित करने हेतु उपविधि बनायी गई है, जिन पर यह शुल्क लागू होंगे।

5- नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करने वाले वाहन चालक इन नियमों से अपने को नियन्त्रित समझेगा क्योंकि वह प्रान्तीय अथवा नगर पंचायत सड़कों एवं अन्य वाहनों जो नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत प्रवेश करते हो की सड़कों एवं पटरियों का प्रयोग करते हो, वही वाहन चालक अपने वाहनों को तब तक नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा जब तक देय शुल्क का भुगतान न कर दे। यह शुल्क मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार को दिया जायेगा। जहां पर नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र निश्चित करेंगी।

6- प्रत्येक वाहन चालक अपने वाहन निर्धारित स्थान या नगर की सीमा में किसी स्थान पर माल उतारने, चढ़ाने एवं सवारियां उतारने-चढ़ाने एवं ठहरने वाले वाहनों से मोहर्रिर/नायब राजस्व मोहर्रिर/ठेकेदार जैसी स्थित हो उनसे शुल्क वसूल कर रसीद दे सकें।

7- इस प्रकार की रसीद प्राप्त करने वाला व्यक्ति नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र के अध्यक्ष/प्रशासक/अधिकासी अधिकारी तथा उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी के द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाने के लिए बाध्य होगा एवं दिखलायेगा जो जॉचोपरान्त उसे विधिवत वापस कर दिया जायेगा।

8- नगर पंचायत अनपरा, सोनभद्र अध्यक्ष/प्रशासक/अधिकासी अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि निर्धारित स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करने परन्तु ऐसा करने के लिए उसे कम से कम 24 घण्टे पूर्व सूचना जारी करनी होगी।

9- यदि कोई वाहन बिना शुल्क अदा किये नगर पंचायत अनपरा, सोनभद्र की सीमा के अन्दर पाया गया तो अधिकासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक या उसके द्वारा अधिकृत जॉच अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति से निर्धारित शुल्क अतिरिक्त शुल्क का कम से कम चार गुना और अधिक से अधिक 20 गुना दण्ड के रूप में वसूल कर रसीद देगा।

10- यदि कोई भी वाहन बगैर शुल्क अदा किये भाग जाने पर चालक का पूरा पता अथवा गाड़ी नम्बर जो भी हो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कानूनी कार्यवाही का अधिकार होगा।

11- यह कि नगर पंचायत चाहे तो प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क की वसूली का वार्षिक अथवा उसके किसी भाग का ठेका दे सकती है ऐसी स्थिति में ठेकेदार निर्धारित दरों पर शुल्क वसूल कर रसीद नियमानुसार जारी करेगा तथा पार्किंग शुल्क अवशेष होने पर पार्किंग शुल्क की वसूली भू0 राजस्व भांति की जा सकेगी।

शुल्क से मुक्ति

12— निम्न वाहन प्रवेश एवं पार्किंग शुल्क से मुक्त होंगे।

(क) मृत पार्टी ले जाने वाले समस्त वाहन या एम्बुलेंस।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर उनका घरेलू सामान जो किसी भार वाहन पर हो किन्तु प्रतिबन्ध वह रहेगा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जावे, जो मांगने पर दिया जायें।

(ग) अन्य सरकारी वाहन (रोडवेज को छोड़कर) जो सरकारी ड्यूटी पर हो किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्बन्धित विभाग द्वारा प्रमाण-पत्र दिया जाये।

(घ) नगर सीमा के अन्दर बिना रुके सीधे जाने वाले वाहन।

प्रतिबन्ध

13— नगर पंचायत अनपरा, सोनभद्र की सीमा में प्रवेश करने वाले तिपहिया, बस, टैम्पो, टू सीटर एवं विक्रम नगर के अन्दर चलने वाले ऑटो रिक्शा एवं श्री व्हीलर की निम्नलिखित स्थान पर खड़े होने एवं सवारी उतारने एवं चढ़ाने हेतु निर्धारित किये जाते हैं।

(क) पुलिस चौकी

14— कोई भी प्राइवेट बस, लारी, मिनीबस, जीप, टैक्सी, इत्यादि जो सवारियां ढोती है वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैण्ड से 1 कि०मी० परिधि में सवारी उतारने व चढ़ाने हेतु तो गाड़ी पार्किंग करेगा और न ही सवारी भरेगा। उल्लघन की दशा में अर्धदण्ड का भागी रहेगा।

15— अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र को यह अधिकार होगा कि किसी भी विवाद के उल्लघन होने पर उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा उपनियम के किसी भी धारा में आवश्यक पड़ने पर संशोधन करने का अधिकारी होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि निर्धारित स्थान से आगे शहरी आबादी में प्रतिबन्धित गाड़ियों को अनुमति नहीं दी जायेगी।

शुल्क का विवरण

16— नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र की सीमा में प्रवेश एवं ठहरने वाले वाहनों से निम्न सारणी के अनुसार शुल्क वसूली करेगी—

1—	प्रत्येक मोटर, मोटर लारी, बस (रोडवेज प्राइवेट बस), ट्रक तथा अन्य डीजल अथवा पेट्रोल से चलने वाले भारी वाहन आदि	रु० 70.00 प्रति चक्कर (परन्तु एक दिन के लिए रु० 150.00 प्रतिदिन)
2—	ट्रैक्टर ट्राली (गैर कृषि कार्य हेतु)	रु० 20.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु० 50.00)
3—	मिनी बस, छोटा ट्रक, मेटाडोर इत्यादि	रु० 30.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु० 70.00)
4—	टैक्सी, मार्शल जीप, टैम्पो, मैजिक इत्यादि	रु० 25.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु० 80.00)
5—	तांगा, ई-रिक्शा	रु० 10.00 प्रति चक्कर (प्रतिदिन रु० 25.00)

शास्ति

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत अनपरा सोनभद्र यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000.00 तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25.00 अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 मास का कारावास तक का दण्ड सक्षम न्यायालय से दिया जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट

अध्यक्ष,

नगर पंचायत, अनपरा,
सोनभद्र।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांश यादव (DIVYANSH YADAV) पुत्र इन्द्र दवन सिंह (INDRDAVAN SINGH) है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9620 5569 8298 में उसका नाम श्रीयन्श यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सही नाम दिव्यांश यादव पुत्र इन्द्र दवन सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इन्द्र दवन सिंह पुत्र तेजबहादुर सिंह,
निवासी- ग्राम उपरौड़ा (बड़ी लोहारी),
सिरसा मेजा प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नन्द लाल चौरसिया पुत्र श्री वी0पी0 चौरसिया है, शैक्षणिक अभिलेख, आधार कार्ड, पैनकार्ड, आदि में अंकित है। मैंने अपना नाम अपनी धार्मिक -अध्यात्मिक आस्था व्यक्तिगत पहचान, मानसिक संतोष एवं जीवन दर्शन के अनुरूप अपना नाम नन्द लाल चौरसिया से बदल कर सिद्धार्थ शाश्वत रख लिया है। भविष्य में मुझे

सिद्धार्थ शाश्वत पुत्र श्री वी0पी0 चौरसिया के नाम से जाना व पहचाना जाये।

नन्द लाल चौरसिया,
हा0पता-एल0सी0-130 ए0डी0ए0 कालोनी,
नैनी, जिला प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम नाजिया खान (NAZIA KHAN) पुत्री जफर महमूद, पत्नी शर्फउद्दीन खान है जो कि उनके आधार कार्ड व पैन कार्ड में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे सेवा से सम्बन्धित अभिलेखों में मेरी पत्नी का नाम कहीं पर नाजिया खान NAZIA KHAN, कहीं पर NAZIA MAHMOOD और कहीं पर NAZIA MAHMOOD KHAN अंकित हो गया है जो कि गलत हैं। भविष्य में मेरी पत्नी को उसके सही नाम नाजिया खान (NAZIA KHAN) पत्नी शर्फउद्दीन खान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

शर्फउद्दीन खान,
पता-102ए/3, चकदोंदी,
नैनी प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम कविता साहू है जो कि उनके आधार

कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल के रोल नं0 23268273 वर्ष 2024 में उनका नाम Nisha Sahu अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

आस्था साहू पुत्री गोपाल दत्त साहू,
पता— 154/2/22 बाई का बाग कीडगंज,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम काव्या राय (Kabya Rai) पुत्री मनीष राय है जो कि उसके आधार कार्ड व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मैंने अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार अपने पुत्री का नाम काव्या राय से बदल कर अग्रिमा राय रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को अग्रिमा राय पुत्री मनीष राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

कुमारी अंजू राय पत्नी मनीष राय,
पता— 19 पिपरौली पोस्ट देवकली जमानियां,
गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम वैशाली सिंह पुत्री शिव सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के डाक घर बचत बैंक सुकन्या समृद्धि योजना खाता संख्या—6001283350 में उसका नाम प्रियान्शु सिंह अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम वैशाली सिंह पुत्री शिव सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

शिव सिंह,
गुसंडी, जयरामपुर, जहांगीर नगर,
खखरेरू, फतेहपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अक्षत शौर्य सिंह (AKSHAT SHAURYA SINGH) पुत्र शिवाजी सिंह जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—9724 8709 4822 में उसका नाम शौर्य सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अक्षत शौर्य सिंह (AKSHAT SHAURYA SINGH) पुत्र शिवाजी सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

शिवाजी सिंह पुत्र श्री गंगाधर सिंह,
निवासी— ग्राम कबीर नगर कालोनी,
सुसवाही जनपद वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आयुष शुक्ल पुत्र नीरज शुक्ल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—6350 7167 5517 में उसका नाम शिवरक्षा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आयुष शुक्ल पुत्र नीरज शुक्ल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

नीरज शुक्ल,
निवासी— ग्राम भमोखर, पो0 कौंधियारा,
परगना अरैल, तहसील करछना, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनिका पाण्डेय पुत्री राजीव रंजन पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9067 8935 3035 में उसका नाम दृष्टि पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनिका पाण्डेय पुत्री राजीव रंजन पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

राजीव रंजन पाण्डेय

पुत्र श्री दिनेश कुमार पाण्डेय,
निवासी- मं0 नं0 ए1079/1 इन्दिरा नगर,
लखनऊ, नियर लेखराज मैट्रो स्टेशन,
लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन (ARYAN) पुत्र भैयाराम है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-5469 8247 3868 में आर एन (R.N.) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन (ARYAN) पुत्र भैयाराम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

गुडडा देवी, पत्नी भैया राम,
पता- धरमपुर, मान्धाता, प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे पुत्र का सही नाम सिद्धान्त चौधरी पुत्र अनिल कुमार चौधरी है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-4608 5076 2447

में उसका नाम सिद्धार्थ अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सिद्धान्त चौधरी पुत्र अनिल कुमार चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

अनिल कुमार चौधरी,
साकिन ग्राम विशुनपुरा, पोस्ट दोगहरा,
थाना परसा मलिक, तहसील नौतनवा,
जनपद महाराजगंज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजकुमारी पत्नी फूलचन्द्र है जो कि मेरे बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर, निर्वाचन कार्ड, भूलेख तथा उपजिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8413 4533 0247 में मेरा नाम मंजू (MANJU) अंकित हो गया है जो कि गलत है। अतः मेरा सही नाम राजकुमारी (RAJKUMARI) पत्नी फूलचन्द्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

राजकुमारी पत्नी फूलचन्द्र,
निवासिनी-रामगढ़ बनीही कुण्डा,
जिला प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अथर्व केशरवानी पुत्र श्री सन्दीप केशरवानी है जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र और शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-7387 3359 1166 में मेरे पुत्र का नाम प्रतीक केशरवानी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अथर्व केशरवानी पुत्र सन्दीप केशरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

सन्दीप केशरवानी,
निवासी—37/ए महाजनी टोला,
प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जिष्णू श्रीवास्तव (Jishnu Srivastava) पुत्र रितेश श्रीवास्तव है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—9327 3321 9864 में उसका नाम रुद्रांश श्रीवास्तव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जिष्णू श्रीवास्तव (Jishnu Srivastava) पुत्र रितेश श्रीवास्तव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

रितेश श्रीवास्तव पुत्र रमेश चंद्र श्रीवास्तव,
निवासी— सा 18/118 एस—7 कामाख्या नगर,
कालोनी, पंचकोशी मार्ग पाण्डेयपुर,
आशापुर, वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निर्मला ओझा पत्नी सुरेन्द्र नाथ ओझा है जो मेरे बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड में तथा उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित हैं। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—4853 8253 0251 में मेरा नाम विमला देवी अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम निर्मला ओझा पत्नी सुरेन्द्र नाथ ओझा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

निर्मला ओझा, पत्नी सुरेन्द्र नाथ ओझा,
निवासिनी— ग्राम पण्डित का पुरवा,
सराय इन्द्रावत, डेरवा, तहसील कुण्डा,
जिला प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लकी पुत्र सोहन लाल (LUCKY S/o SOHAN LAL) है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों (EDUCATIONAL DOCUMENTS) पर अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 7856 9302 9431 में मेरा नाम गलत स्पेलिंग के साथ लकी (LAKI) अंकित हो गया है जो कि पूरी तरह गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लकी (LUCKY) के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

लकी पुत्र सोहन लाल,
पता— 1141, नया का पुरवा,
रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिंह सुभम दिनेश (Singh Shubham Dinesh) पुत्र दिनेश सिंह (Dinesh Singh) है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—3132 5964 7330 में मेरा नाम शुभम सिंह (Shubham Singh) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिंह सुभम दिनेश (Singh Shubham Dinesh) पुत्र दिनेश सिंह (Dinesh Singh) से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

शुभम सिंह पुत्र दिनेश कुमार सिंह,
निवासी—छड़गड़ा पोस्ट रामगढ़,
कोरांव प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नरेन्द्र कुमार सिंह (NARENDRA KUMAR

SINGH) पुत्र राम अवतार सिंह (RAM AWATAR SINGH) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-2961 4921 7773 में मेरा नाम एन0के0 सिंह (N.K. SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नरेन्द्र कुमार सिंह पुत्र राम अवतार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

नरेन्द्र कुमार सिंह,
निवासी-मकान नं0-एन-23 लच्छीपुरा कालोनी,
वाराणसी कैण्ट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिशा सिंह पुत्री जगदीश बहादुर सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6606 2363 6152 में मेरा नाम ब्यूटी सिंह (BEAUTY SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दिशा सिंह पुत्री जगदीश बहादुर सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

दिशा सिंह पुत्री जगदीश बहादुर सिंह,
निवासी-ग्राम कटकावली पोस्ट अजगरा रानीगंज,
तहसील सदर जनपद प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अद्विक श्रीवास्तव (Aadvik Srivastava) पुत्र रोहित कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3933 8763 3391 में उसका नाम प्रीत अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अद्विक श्रीवास्तव (Aadvik Srivastava) पुत्र रोहित कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

रोहित कुमार पुत्र प्रेमशंकर श्रीवास्तव,
निवासी- 567 संकट मोचन से तरकापुर,
लक्ष्मण प्रसाद की गली, कोतवाली शहर विसंदरपुर,
मिर्जापुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो0 आबिद (MO. ABID) है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेख हाईस्कूल की मार्कशीट में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6776 2706 9544 में मेरा नाम मो0 आबिद (MOHD ABID) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मो0 आबिद (MO. ABID) पुत्र गुल मोहम्मद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

मो0 आबिद पुत्र गुल मोहम्मद,
निवासी- नई बस्ती, बालकराम पुरवा,
तहसील व पोस्ट करनैलगंज, गोण्डा, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अमित कुमार पुत्र रामनरेश है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-9314 2804 1397 में उसका नाम विनय कुमार अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमित कुमार पुत्र रामनरेश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

राम नरेश पुत्र मौजीलाल,
निवासी- मदनपुर नौधीखेड़ा बिन्दकी,
तहसील बिन्दकी जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आस्था यादव पुत्री आशीष कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्री के आधार कार्ड सं0-7465 4798 9478 में उसका नाम कृति अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आस्था यादव पुत्री आशीष कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

आशीष कुमार यादव,
निवासी- ग्राम पचखोरा कला, पोस्ट पचखोरा,
परगना व तहसील एवं जिला-बलिया, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अंशुमान यादव (Anshuman Yadav) पुत्र संतोष कुमार यादव है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3499 0996 2743 में उसका नाम शौर्य कुमार यादव (Shaurya Kumar Yadav) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अंशुमान यादव (Anshuman Yadav) पुत्र संतोष कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

संतोष कुमार यादव पुत्र सन्त लाल यादव,
निवासी-ग्राम जैतापुर सियाडीह हंडिया,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दिव्यांश शर्मा पुत्र ओमकार है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र

के आधार कार्ड सं0-6400 3476 4222 में उसका नाम नीतिश अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम दिव्यांश शर्मा पुत्र ओमकार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

ओमकार पुत्र धनपत,
निवासी-अमोढ़ा, अमोढ़ा उरुवा बाजार,
गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता जी का शुद्ध नाम अनुपमा रस्तोगी है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है एवं मेरे पिता जी का शुद्ध नाम नवीन कुमार रस्तोगी है जो कि उनके आधार कार्ड पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट स्कूल प्रमाण पत्र, सह अंक पत्र (अनुक्रमांक 23268505/2020 एवं 23731871/2022) में मेरी माता जी का नाम अनु रस्तोगी अंकित हो गया है और पिता जी का नवीन रस्तोगी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

संकल्प रस्तोगी पुत्र श्री नवीन कुमार रस्तोगी,
निवासी- 17/9 कबीर नगर, दुर्गाकुंड,
वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पंचू पुत्र मोहन है जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, खतौनी, परिवार रजिस्टर एवं राजस्व अभिलेख में उपजिलाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-8725 2349 4895 में मेरा नाम गलत रूप में पंचम दर्ज हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पंचू पुत्र मोहन के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

पंचू पुत्र मोहन,
निवासी— ग्राम नेवढ़िया, तह0 मेजा,
जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम जीत कुमार पुत्र जमुना प्रसाद है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—2990 7016 7740 में उसका नाम रूद्र प्रजापति पुत्र जमुना प्रसाद अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम जीत कुमार पुत्र जमुना प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

जमुना प्रसाद,
निवासी—63डी/1 बेली कालोनी,
तहसील—सदर प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पाल रितेश ज्ञानदास पुत्र ज्ञानदास पाल है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0—9490 7746 2045 में मेरा नाम रितेश ज्ञानदास अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पाल रितेश ज्ञानदास पुत्र ज्ञानदास पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

पाल रितेश ज्ञानदास पुत्र ज्ञानदास पाल,
निवासी— एन 3/20सी कर्माजीतपुर,
सन्दरपुर, वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदर्श पटेल पुत्र मनोज कुमार पटेल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—4970 1275 2939 में उसका नाम शैलेश पटेल अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श पटेल पुत्र मनोज कुमार पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

मनोज कुमार पटेल,
ग्राम नदान, पोस्ट ऊँचगॉव,
जनपद जौनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम अपूर्व तिवारी पुत्र अतुल तिवारी है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0—9416 6933 5646 में उसका नाम शाश्वत तिवारी अंकित हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम अपूर्व तिवारी पुत्र अतुल तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

अतुल तिवारी पुत्र स्व0 भरत प्रसाद तिवारी,
निवासी— ग्राम बूबूपुर मजरे मंगोली,
परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना,
जनपद अमेठी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सोनम शर्मा है तथा मेरी माता जी का सही नाम निलम देवी है जो कि मेरे हाई स्कूल की टी0सी0 एवं मेरी माता के आधार कार्ड में सही रूप में अंकित हैं। किन्तु त्रुटिवश मेरे इण्टर मीडिएट के अंक पत्र (अनुक्रमांक-

23642971) में मेरा नाम सोनम ठाकुर तथा मेरी माता का नाम निलम ठाकुर अंकित हो गया है जो कि पूर्णतया गलत है।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

सोनम शर्मा, पुत्री ओम प्रकाश शर्मा,
ग्राम मन्डी, पो0 ब्रह्मपुरा,
जिला मऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम द्वारिका प्रसाद पुत्र माता भीख जो मेरे बैंक पासबुक, राशन कार्ड खतौनी, परिवार रजिस्टर की नकल एवं उपजिलाधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं-7261 4804 9314 में मेरा नाम मुरली बचऊ अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम द्वारिका प्रसाद पुत्र माता भीख के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

द्वारिका प्रसाद पुत्र माता भीख,
निवासी- जैतवाराडीह डीधी पोस्ट इस्माईलगंज,
पंडिला, तहसील सोरांव प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सिद्धान्त कुमार सुत हरिश चंद्र है जो कि मेरे पुत्र के शैक्षिक अभिलेखों व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-2081 1420 9373 में मेरे पुत्र का नाम सिद्धान्त गौतम अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सिद्धान्त कुमार सुत हरिश चंद्र के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

हरिश चंद्र सुत राज बहादुर,
निवासी- पूरे पितई करनपुर पो0 पुरे नरसिंहभान,
तह0 सदर जिला प्रतापगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्री का सही नाम साखिया बानो है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-8263 4415 8933 में उसका नाम सुहानी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम साखिया बानो पुत्री जुल्फेकार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

जुल्फेकार पुत्र लल्लन,
पता- बरई उर्फ मौलवीगंज सरॉय अकिल,
कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम विकास पाल (VIKAS PAL) पुत्र शिव सहाय पाल है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0-3278 8333 1754 में उसका नाम आदर्श (Adarsh) हो गया है जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम विकास पाल (VIKAS PAL) पुत्र शिव सहाय पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

शिव सहाय पाल पुत्र राम दत्त पाल,
पता-पिकौरा, नरहरपुर, शाहपुर,
सुल्तानपुर, उ0प्र0।

NOTICE

General public is hereby informed that my son's correct name is Akshat Ratan S/o Ratanesh Kumar whereas his name is inadvertently mentioned as Akshy Kumar Saroj in his Aadhar Card No.-9375 5207 6893 which is incorrect In future he should be known and recognized by his correct name Akshat Ratan S/o Ratanesh Kumar. It is hereby certified that all the legal formalities in connection with the above have been completed by me.

Ratanesh Kumar S/o Lalji,
R/o vill. Kedwari post Devapar,
Distt. Jaunpur .

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम शैली विश्वकर्मा (Shaily Vishwakarma) पुत्री सुरेन्द्र विश्वकर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7612 8518 0928 में उसका नाम सलोनी विश्वकर्मा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम शैली विश्वकर्मा पुत्री सुरेन्द्र विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सुरेन्द्र विश्वकर्मा पुत्र नकछेद विश्वकर्मा
नि0- भमियार तिवारीपुर,
वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अश्वि पाण्डेय (Ashvi Pandey) पुत्री पवन पाण्डेय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-4018 5229 6248 में उसका नाम दिव्यांशी पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि

गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अश्वि पाण्डेय (Ashvi Pandey) पुत्री पवन पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

मधु पाण्डेय पत्नी पवन पाण्डेय
नि0 गोसाईपुर छोटा चोलापुर
वाराणसी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम प्रज्ञा श्रीवास्तव (Pragya Srivastava) पुत्री प्रभात चन्द श्रीवास्तव (Prabhat Chand Srivastava) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-6277 8874 4209 में उसका नाम प्रज्ञान्शी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम प्रज्ञा श्रीवास्तव (Pragya Srivastava) पुत्री प्रभात चन्द श्रीवास्तव (Prabhat Chand Srivastava) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रभात चन्द श्रीवास्तव S/o ज्ञानेन्द्र लाल श्रीवास्तव
155 पोस्ट आफिस के सामने पोस्ट-कौडिया
ग्राम- कौडिया, आजमगढ़, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सौरभ यादव पुत्र विजय बहादुर यादव है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-6519 8691 1123 में मेरा नाम शौरभ यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सौरभ यादव पुत्र विजय बहादुर यादव के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

सौरभ यादव पुत्र विजय बहादुर यादव
निवासी—हिम्मतपुर पवांरा, पोस्ट—पवांरा,
जौनपुर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम समृद्धि विश्वकर्मा पुत्री स्व० पंचलाल विश्वकर्मा है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—9160 7078 5567 में उसका नाम सुमृद्धि विश्वकर्मा (Sumridhi Vishwakarma) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम समृद्धि विश्वकर्मा (Samridhi Vishwakarma) पुत्री स्व० पंचलाल विश्वकर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ज्योति विश्वकर्मा,
पत्नी स्व० पंचलाल विश्वकर्मा,
निवासी— मुकुंद बांध नई बस्ती,
विन्ध्याचल अकारोही मिर्जापुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दिव्यांश गुप्ता (Divyansh Gupta) पुत्र ओम नारायण गुप्ता है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट व शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे LIC बांड/पॉलिसी संख्या 230824282 में मेरा नाम अभिषेक गुप्ता अंकित हो गया है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दिव्यांश गुप्ता (Divyansh Gupta) पुत्र ओम नारायण गुप्ता के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

दिव्यांश गुप्ता,
पुत्र ओम नारायण गुप्ता,
नि०—128/564 फ्लैट नं० 3 के ब्लॉक
किदवई नगर, कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम कीर्ति राय (Kirti Rai) पुत्री ओमकार नाथ राय है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—4630 2241 3998 में उसका नाम कृति राय (Kriti Rai) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम कीर्ति राय (Kirti Rai) पुत्री ओमकार नाथ राय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ओमकार नाथ राय
पता—186 ग्राम व पोस्ट—सिहोरी
गाजीपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आकृति सिंह पुत्री धीरज सिंह है जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—4794 1420 5694 में उसका नाम शिवांगी सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आकृति सिंह पुत्री धीरज सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रोशनी सिंह पत्नी धीरज सिंह,
ग्राम भरखरे, भरखर थाना शिवगढ़
तहसील लम्भुआ, जिला सुलतानपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम एंजल केशरवानी (Angel Kesharwani) पुत्री प्रकाश चन्द्र केशरवानी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-9688 4154 9757 में उसका नाम लक्ष्मी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम एंजल केशरवानी पुत्री प्रकाश चन्द्र केशरवानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रकाश चन्द्र केशरवानी पुत्र गुलाब चन्द्र केशरवानी
पता-34बी/277बी काली मंदिर रोड नीम सराय
प्रयागराज उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जय प्रकाश राय (Jai Prakash Rai) पुत्र सूबेदार राय (Subedar Rai) है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार संख्या कार्ड सं0 6195 2065 9164 में मेरा नाम जय प्रकाश राय (Jaya Prakash Rai) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जय प्रकाश राय (Jai Prakash Rai) पुत्र सूबेदार राय (Subedar Rai) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जय प्रकाश राय
निवासी-255/12 शास्त्री नगर,
जनपद-कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सकीना फातिमा (Sakina Fatima) पुत्री इरशाद अहमद है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में

अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-5493 1917 9938 में उसका नाम सानिया परवीन अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सकीना फातिमा पुत्री इरशाद अहमद के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

इरशाद अहमद पुत्र अफजाल अहमद,
पता-न्यू कालोनी रजदेपुर,
जनपद गाजीपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या (Aradhya) पुत्री धर्मेन्द्र कुमार है जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है, त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-2432 7943 1539 में उसका नाम गरिमा (Garima) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या पुत्री धर्मेन्द्र कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रघुनाथ
पता-उंचाहार ईश्वरदासपुर पूरे नसीरनपुर
रायबरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम निकिता पाण्डेय (Nikita Pandey) पुत्र पंकज पाण्डेय है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार संख्या कार्ड सं0 5736 4433 9343 में मेरा नाम मान्सी पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम निकिता पाण्डेय (Nikita Pandey) पुत्री पंकज पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

निकिता पाण्डेय पुत्री पंकज पाण्डेय,
नि0 गांव सरायदीना पो0 बडगांव सोरांव,
प्रयागराज हाल मकाम 63 काछा जेठ वारा,
पो0 काछा प्रतापगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जगुवा पुत्र स्व0 रमेश है जो कि मेरे निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर, खतौनी तथा उपजिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार संख्या कार्ड सं0 4521 6480 4553 में मेरा नाम जगू प्रसाद यादव अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जगुवा (Jaguva) पुत्र स्व0 रमेश के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जगुवा पुत्र स्व0 रमेश
निवासी— 48 छीबों, पोस्ट छीबों
जिला—चित्रकूट, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम जंगबहादुर सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 8871 3366 2755 में मेरा नाम हरिहर प्रसाद सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम जंगबहादुर सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

जंगबहादुर सिंह पुत्र रामकृपाल सिंह
निवासी—ग्राम व पोस्ट को सफरा,
थाना—कोरांव, जनपद—प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 जी0 जी0 हाउसिंग, 404 पुष्पांजली टावर, दिल्ली गेट, आगरा जिसकी पत्रावली संख्या-एजी-7662 है। उक्त फर्म में श्री अवधेश सिंह व श्री टीकम सिंह भागीदार थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 06 मई, 2026 के अनुसार फर्म का पता परिवर्तित कर प्लॉट नं0-1, 5 माँ लोगश्री धाम कॉलोनी, रहनाकलॉ रोड, एत्मादपुर, जिला आगरा करते हुये श्रीमती सीता तोमर पत्नी श्री टीकम सिंह फर्म में नई साझेदार की हैसियत से सम्मिलित हो गई हैं तथा दिनांक 06 मई, 2026 से श्री अवधेश सिंह पुत्र स्व0 नारायण सिंह फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री टीकम सिंह व श्रीमती सीता तोमर भागीदार हो गये हैं।

टीकम सिंह,
भागीदार,
मे0 जी0 जी0 हाउसिंग, 404 पुष्पांजली टावर,
दिल्ली गेट, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 श्री बांके बिहारी होटल्स एण्ड टॉवर्स, 12 दया नगर, शमसाबाद रोड, आगरा जो कि पत्रावली संख्या ए0जी0-12557 पर पंजीकृत हैं, में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं—

यह है कि उक्त फर्म का संचालन दिनांक 29 मई, 2014 से श्री अमरजीत सिंह, श्री विशाल अग्रवाल व श्री सतीश चन्द्र गोयल के द्वारा संचालित थी। उक्त फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को श्री विवेक कुमार अग्रवाल नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये, जो दिनांक 01 जुलाई, 2025 को फर्म से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये तथा दिनांक 01 जुलाई, 2025 को 1—श्री मधूसूदन शर्मा, 2—श्रीमती मंजू शर्मा, 3—श्री मनोज कुमार गुप्ता, 4—श्री अनूप कुमार गुप्ता, 5—श्री अभिनव भार्गव, 6—श्रीमती पूजा भार्गव, नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुये हैं। दिनांक 01 अगस्त, 2025 से पूर्व भागीदारी से पूर्व भागीदार श्री अमरजीत सिंह, श्री सतीश चन्द्र गोयल तथा श्री विशाल कुमार अग्रवाल उक्त फर्म कि भागीदारी से अपनी स्वेच्छा से अलग हो गये हैं। अब फर्म में श्री मधूसूदन शर्मा, श्रीमती मंजू शर्मा, श्री मनोज

कुमार, श्री अनूप कुमार गुप्ता, श्री अभिनव भार्गव एवं श्रीमती पूजा भार्गव ही भागीदार रह गये हैं।

मधूसूदन शर्मा,
भागीदार,
मे0 श्री बांके बिहारी होटल्स एण्ड टॉवर्स,
12 दया नगर, शमसाबाद रोड, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 ए0 पी0 रियल एस्टेट, अपोजिट जी0एस0 के इण्टर कालेज, मेन मार्केट किरावली, जिला आगरा परिवर्तित पता-खसरा नं0-427, मघटई, बोदला, आगरा-282007 जो उपनिबंधक, फर्म्स सोसाइटी के कार्यालय में पत्रावली संख्या ए0जी0आर0-24979 पर पंजीकृत हैं उक्त फर्म में दिनांक 02 मई, 2026 से श्री सतीश चंद शर्मा पुत्र श्री चन्दन सिंह नये साझेदार सम्मिलित हुये हैं व दिनांक 02 मई, 2026 से श्रीमती प्रियंका अग्रवाल पत्नी श्री सौरभ गर्ग फर्म की साझेदारी से स्वेच्छा से अलग हो गयी है। अब फर्म में श्रीमती मृदुला शर्मा व श्री सतीश चन्द्र शर्मा भागीदार हो गये हैं।

मृदुला शर्मा,
भागीदार,
मे0 ए0 पी0 रियल एस्टेट,
अपोजिट जी0एस0 के इण्टर कालेज,
मेन मार्केट किरावली, जिला आगरा।
परिवर्तित पता-खसरा नं0-427, मघटई,
बोदला, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 जी को शू फौकट्री, 16/88 सदर भट्टी, आगरा-282003 का पत्रावली संख्या AG-7686 पर पंजीकृत है। फर्म में दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से श्री इशित्याक हुसैन, श्री आसिफ हुसैन, श्री आबिद हुसैन, श्री आकिल हुसैन, श्री आदिल हुसैन पार्टनर थे। जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को श्री शोएब हुसैन पुत्र श्री इशित्याक हुसैन, निवासी-17/302 सदर भट्टी, आगरा फर्म की

साझेदारी में शामिल हो गये हैं व संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के अनुसार श्री इशित्याक हुसैन, श्री आसिफ हुसैन, श्री आबिद हुसैन, श्री आकिल हुसैन, श्री आदिल हुसैन पार्टनर थे। जिसमें दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को श्री शोएब हुसैन पुत्र श्री इशित्याक हुसैन, तथा श्री आदिल हुसैन कर्ता की हैसियत से रहेंगे। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब 06 ही पार्टनर हिस्सेदार रहेंगे।

श्री इशित्याक हुसैन,
साझेदार,
मे0 जी को शू फौकट्री,
16/88 सदर भट्टी, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 "बंसल किसान सेवा केन्द्र" पता-एतमादपुर भटपुरा, असमौली, जिला सम्भल नामक फर्म दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को डिजोल्व कर दी गई है। उक्त फर्म पर किसी तरह की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है।

अनुज कुमार
पार्टनर
फर्म मे0 "बंसल किसान सेवा केन्द्र"
पता-एतमादपुर भटपुरा, असमौली,
जिला सम्भल।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s G.S. Enterprises, Azad Nagar, Mohammdabad, Farrukhabad, U.P.-209651 की साझीदार हूं। फर्म का पंजीयन दिनांक 25.06.2021 को पंजीकरण सं0 FAR/0009375 पर हुआ था। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 जून, 2021 के अनुसार फार्म नं0-7 पंजीयन प्रमाण पत्र सं0 4432 दिनांक 28 मार्च, 2026 को पंजीकृत है। फर्म की भागीदारी डीड दिनांक 01 जनवरी, 2026 के अनुसार अनीता गोयल, श्रीमती ऋचा गुप्ता साझीदार थी, श्री गिरजा शंकर गोयल साझीदारी से पृथक हो गये थे। संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 12 मई, 2026 के अनुसार साझीदारी में श्री गिरजा शंकर गोयल को पुनः

शामिल कर लिया गया है तथा साझेदार श्रीमती ऋचा गुप्ता स्वेच्छा से पृथक हो गयी है। अब फर्म में श्रीमती अनीता गोयल व श्री गिरजा शंकर गोयल साझेदार हैं।

श्रीमती अनीता गोयल
पार्टनर,

M/s G.S. Enterprises, Azad Nagar,
Mohammdabad, Farrukhabad, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रोशन ग्रुप वेयरहाउसिंग पता जहानाबाद रोड रिच्छा बहेड़ी, जिला बरेली उत्तर प्रदेश 243201 जिसकी पंजीकरण सं० BAR/0015756 है। दिनांक 31 मार्च, 2026 को उक्त फर्म से एक साझेदार श्री मोहम्मद अकरम पुत्र श्री अकबर हुसैन निवासी वार्ड नं० 10ए मोहल्ला सराय, टाउन रिच्छा बहेड़ी जिला बरेली स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये हैं। सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई बकाया नहीं है वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल दो साझेदार क्रमशः 1-सईद अहमद, 2-मोहम्मद कमर है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सईद अहमद
साझेदार
मेसर्स रोशन ग्रुप वेयरहाउसिंग
पता- जहानाबाद रोड रिच्छा बहेड़ी,
जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स रोशन इण्डस्ट्रीज पता- जहानाबाद रोड रिच्छा बहेड़ी, जिला बरेली उत्तर प्रदेश 243201 जिसकी पंजीकरण सं० B-11865 में दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से मोहम्मद शहजील पुत्र श्री सईद अहमद व शहनाज पुत्री श्री अब्दुल सलीम को नया साझेदार बनाया गया व दिनांक 31 मार्च, 2026 को साझेदार मोहम्मद अकरम पुत्र श्री अकबर हुसैन स्वेच्छा से

सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्त के पश्चात उपरोक्त सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का उपरोक्त सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई शेष बकाया नहीं है वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल तीन साझेदार क्रमशः 1-सईद अहमद, 2- मोहम्मद शहजील, 3-शहनाज है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सईद अहमद
साझेदार

मेसर्स रोशन इण्डस्ट्रीज,
पता- जहानाबाद रोड रिच्छा बहेड़ी,
जिला बरेली, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ए0एस0 इण्डस्ट्रीज पता गाटा नं० 164 टाण्डा बिसवा 8 जहानाबाद रोड रिच्छा तहसील बहेड़ी जिला बरेली उत्तर प्रदेश 243201 जिसकी पंजीकरण सं० BAR/0016985 है में दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्री राशिद कमाल पुत्र श्री मोहम्मद अकरम व श्री मोहसिन कमाल पुत्र श्री मोहम्मद अकरम को नया साझेदार बनाया गया व दिनांक 31 मार्च, 2026 को साझेदार सईद अहमद पुत्र श्री मोहम्मद उमर स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये। सेवानिवृत्ति के पश्चात उपरोक्त सेवानिवृत्त साझेदार का फर्म पर व फर्म का उपरोक्त सेवानिवृत्त साझेदार पर कोई शेष बकाया नहीं है वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल तीन साझेदार क्रमशः 1-मोहम्मद अकरम 2-राशिद कमाल 3-मोहसिन कमाल है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

मोहम्मद अकरम,
साझेदार,

फर्म मेसर्स ए0एस0 इण्डस्ट्रीज,
पता- गाटा नं० 164 टाण्डा बिसवा 8,
जहानाबाद रोड रिच्छा तहसील बहेड़ी,
जिला बरेली उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स गोयल इन्टरप्राइजेज पता तिलक कॉलोनी, सुभाष नगर, बरेली यू0पी0 जिसकी पंजीकरण B-13854 है में दिनांक 15 अप्रैल, 2026 को अन्य साझेदारों की सहमति व स्वेच्छा से श्रीमती श्वेता गोयल पत्नी श्री सुशांत गोयल निवासी- 886 तिलक कॉलोनी, सुभाष नगर, बरेली यू0पी0 को नया साझेदार बनाया गया। वर्तमान में उपरोक्त फर्म में कुल तीन साझेदार क्रमशः 1-प्रेम प्रकाश गोयल 2-सुशांत गोयल 3-श्रीमती श्वेता गोयल है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

प्रेम प्रकाश गोयल
साझेदार
फर्म मेसर्स गोयल इन्टरप्राइजेज
पता तिलक कॉलोनी, सुभाष नगर,
बरेली यू0पी0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स पी0 सी0 पाल एंड संस रेलवे रोड़ सहारनपुर का पंजीयन दिनांक 12 जून, 2020 को सहा0 रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी व चिट्स क्षेत्र सहारनपुर द्वारा हुआ था रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में नीना पाल पत्नी अजय पाल, फ्लैट नं0 2 अवलोन अपार्टमेंट्स एम0जी0 रोड न्यू मंगला पुरी, महारौली, गदाईपुर, नई दिल्ली 30, अखिल पाल लखनपाल पुत्र स्व0 अजय पाल, K93 2nd तल इन्टरनल स्ट्रीट नियर कैलाशपति मन्दिर, होज खास, एन्क्लेव, नई दिल्ली 16, व आदित्य पाल लखनपाल पुत्र अजय पाल K90A, 2nd तल इन्टरनल स्ट्रीट नियर कैलाशपति मन्दिर, होज खास, एन्क्लेव, नई दिल्ली 16, पार्टनर थे। दिनांक 19 मार्च, 2026 की डीड अनुसार फर्म से नीना पाल व अखिल पाल लखनपाल रिटायर्ड हो गये उसी तिथि को फर्म में जयपाल लखनपाल पुत्र आदित्य लखनपाल F7A प्रथम तल होज खास, एन्क्लेव, नई दिल्ली 16, नये पार्टनर शामिल हो गये अब फर्म में आदित्य पाल लखनपाल व जयपाल लखनपाल पार्टनर रह गये हैं।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

आदित्य पाल लखनपाल
भागीदार,
मेसर्स पी0 सी0 पाल एंड संस,
रेलवे रोड़ सहारनपुर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स वी०के० ट्रांसपोर्ट, सी0-88, छोटी पार्किंग ट्रांसपोर्ट नगर, मुजफ्फरनगर का पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक, फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर के यहां से दिनांक 06 मार्च, 2021 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में 1. श्रीमती सीमा पत्नी विजय कुमार निवासी- 464/112/2 सिविल लाईन्स, मुजफ्फरनगर, 2. रामबाबू भगत पुत्र जगरनाथ भगत, निवासी-464/112/2 सिविल लाईन्स, मुजफ्फरनगर भागीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 की पार्टनरशिप डीड के अनुसार फर्म में विजय कुमार पुत्र महीपाल सिंह निवासी 464/112/2 सिविल लाईन्स, मुजफ्फरनगर अपने हिस्से की धनराशि देकर फर्म में भागीदार बन गया है। अब वर्तमान में 1. श्रीमती सीमा 2. रामबाबू भगत व 3. विजय कुमार भागीदार हैं।

श्रीमती सीमा
भागीदार,
मेसर्स वी०के० ट्रांसपोर्ट,
सी0-88, छोटी पार्किंग ट्रांसपोर्ट नगर,
मुजफ्फरनगर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं साझेदार रवि बंसल पुत्र विशंभर दयाल बंसल, निवासी-पी0 1702- टावर पी. सेलिब्रिटी ग्रीन, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ- 226030 मेसर्स स्प्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स (M/S- SPRING INFRASTRUCTURES) (पूर्व पता)- सी0पी0 138, तीसरी मंजिल, विराज खंड, गोमती नगर, लखनऊ, 226010, (परिवर्तित पता)- यूनिट-705, 705-

706, 7वीं मंजिल अर्बनैक बिजनेस पार्क ए-1 विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ-226010 उत्तर प्रदेश के विधान में परिवर्तन की सूचना देता हूँ। फर्म में छः साझेदार श्री रवि बंसल पुत्र विशंभर दयाल बंसल निवासी-सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ 226030, श्री नीलेश बंसल पुत्र ओम प्रकाश बंसल निवासी- सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ 226030, श्री शिवम मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा निवासी- बी-10, दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110070, श्री सौरीश मिश्रा पुत्र ओम प्रकाश मिश्रा, निवासी- विपुल खंड, लखनऊ 226010, श्री जय राम जालान पुत्र श्री कौशल नंदन जालान, निवासी-गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ-226010, एवं श्री आशुतोष खरे पुत्र स्वर्गीय प्रेम दयाल खरे निवासी- जोपलिंग रोड, लखनऊ 226001 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 को साझेदार श्री जय राम जालान जी एवं श्री आशुतोष खरे जी स्वेच्छा से फर्म की साझेदारी से अलग हो गये हैं। अब फर्म में कुल चार साझेदार श्री रवि बंसल, श्री नीलेश बंसल, श्री शिवम मिश्रा एवं श्री सौरीश मिश्रा हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के संबंध में सभी विविध औपचारिकताएं, मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

रवि बंसल,
साझेदार,
फर्म मेसर्स-स्प्रिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स
यूनिट-705, 705-706, 7वीं मंजिल,
अर्बनैक बिजनेस पार्क ए-1,
विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सतनाम इण्टरप्राइजेज, आवास विकास, सक्षम हॉस्पिटल के सामने, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ0प्र0) का पंजीकरण क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक, फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स सहारनपुर के यहां से दिनांक 19 मार्च, 2026 को हुआ था। रजिस्ट्रेशन के समय फर्म में 1. कुलदीप कुमार अरोडा पुत्र राज कुमार अरोडा, 2.

प्रमोद मिगलानी पुत्र ओमप्रकाश मिगलानी, 3. पुनीत मिगलानी पुत्र वेद प्रकाश मिगलानी भागीदार थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2026 की पार्टनरशिप डीड के अनुसार फर्म में संदीप कपूर पुत्र अविनाश चन्द्र कपूर निवासी 2बी0/3219 बी0पी0सी0एल0 कॉम्प्लैक्स, आवास विकास, दिल्ली रोड सहारनपुर अपने हिस्से की धनराशि देकर फर्म में भागीदार बन गया है। अब वर्तमान में 1. कुलदीप कुमार, 2. प्रमोद मिगलानी 3. पुनीत मिगलानी 4. संदीप कपूर भागीदार है।

कुलदीप कुमार,
भागीदार,
मेसर्स सतनाम इण्टरप्राइजेज,
आवास विकास, सक्षम हॉस्पिटल के सामने,
दिल्ली रोड, सहारनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स-शिव शक्ति एग्रो इण्डस्ट्रीज, हरपुर पीपीगंज जनपद गोरखपुर, उ0प्र0 नामक फर्म मे साझेदारी डीड दिनांक 01 जुलाई, 2013 से श्री सोनू प्रजापति, श्री राम प्रसाद प्रजापति श्री राम मिलन प्रजापति व श्री लक्ष्मन प्रसाद विश्वकर्मा एवं श्रीमती किस्मती देवी राममिलन प्रजापति जी साझेदार थे। यह की उक्त फर्म कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स गोरखपुर में पंजीकरण G-3788 पर पंजीकृत है। यह की उक्त फर्म के साझेदारी डीड दिनांक 27 अप्रैल, 2026 से चतुर्थ साझेदार श्री लक्ष्मन प्रसाद विश्वकर्मा जी उक्त फर्म से अपना हक और हिस्सा लेकर रिटायर्ड हो चुके हैं। अब उक्त फर्म में क्रमशः श्री सोनू प्रजापति, श्री राम प्रसाद प्रजापति व श्री राम मिलन प्रजापति एवं श्रीमती किस्मती देवी राममिलन प्रजापति जी है। उक्त फर्म में किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

सोनू प्रजापति,
साझेदार,
मेसर्स-शिव शक्ति एग्रो इण्डस्ट्रीज,
हरपुर पीपीगंज, जनपद गोरखपुर, उ0प्र0।

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स STAR POLLUTECH, GATA NO-1425 AND 1426, VILLAGE CHANDRA, TEHSIL MAHOLI, DISTRICT SITAPUR से पंजीकृत है। यह कि 2 साझेदार श्री हिमांशु बाथम एवं श्री अवध राम वर्मा साझेदार थे। दिनांक-02 फरवरी, 2026 को अवध राम वर्मा का निधन हो गया है। दिनांक 17 अप्रैल, 2026 को एक नयी साझेदारी बनी जिसमें श्री यथार्थ विक्रम सिंह साझेदार के रूप में शामिल हो गया है। वर्तमान में 2 साझेदार क्रमशः हिमांशु बाथम एवं श्री यथार्थ विक्रम सिंह साझेदार हैं।

हिमांशु बाथम,
साझेदार,
मेसर्स STAR POLLUTECH.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा सही नाम ताहर सिंह (TAHAR SINGH) पुत्र दाता राम है जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा उपजिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0-7775 4856 1631 में मेरा नाम अजय पाल सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ताहर सिंह (TAHAR SINGH) पुत्र दाता राम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ताहर सिंह पुत्र दाता राम,
निवासी- मिर्जापुर, धमौरा,
रामपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वधारकों को सूचित किया जाता है कि M/s Shraddha Industries, पता: F-13 UPSIDC Industrial Area Naini, Allahabad (U.P.) है, जिसमे साझेदार क्रमशः 1. Smt. Pratibha Kesarwani R/o Kaserua Kala, Sahson, Allahabad, 2. Smt. Sneha Kesarwani R/o Kaserua Kala Sahson, Allahabad, 3- Smt. Ekta Kesarwani R/o Kaserua Kala, Sahson, Allahabad 4- Smt. Seema Kesarwani R/o Village Kaserua Kala, Sahson, Allahabad 5- Smt. Simran Kesari R/o Village Kaserua Kala, Sahson, Allahabad है। दिनांक 01 अप्रैल, 2025 को फर्म में नए साझेदार के तौर पर दो नए साझेदार क्रमशः 1. Sri, Manish kumar R/o Village Kaserua Kala, Sahson, Allahabad एवं 2- Sri. Sunil Kumar kesarwani R/o Village Kaserua Sahson, Allahabad में सम्मिलित हुए।

Smt. Sneha Kesarwani.
M/s Shraddha Industries
पता: F-13 UPSIDC Industrial Area Naini,
Allahabad, U.P.